



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11062021-227507
CG-MH-E-11062021-227507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943

No. 222]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISHTHA 20, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 जून, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021-25.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क (21ए) के साथ पठित धारा 31 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) एवं धारा 11क (11ए) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय - I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 कहा जाएगा।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए नीचे दिए गए हैं, और उनके जैसे शब्दों तथा ऐसे जिन शब्दों के रूप कुछ बदल गए हों उनका अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-

क) “अधिनियम” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);

ख) “अर्जनकर्ता” (एक्वायरर) में वह व्यक्ति शामिल है -

(i) जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के विनियम 5क के अनुसार, सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, कंपनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता का प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) लाने का निर्णय लेता हो; या

(ii) जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हो या फिर संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा हो, जिनमें सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

ग) “बोर्ड” का अर्थ है - अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी);

घ) “बोली लगाने की अवधि” का अर्थ है वह अवधि, जिस अवधि के भीतर शेयरधारक कंपनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव (जो इन विनियमों के तहत लाया गया हो) स्वीकार करते हुए अपने शेयर सौंप सकते हैं;

ङ) “नियंत्रण” का वही अर्थ होगा, जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (समय-समय पर यथा-संशोधित) में इसके लिए दिया हुआ है;

च) “कंपनी” का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में दी हुई परिभाषा के दायरे में आने वाली कंपनी, और जिसमें शामिल हैं - उस समय लागू किसी कानून के तहत स्थापित कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) या निगम (कारपोरेशन), जिसके इक्विटी शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों;

छ) “अनिवार्य असूचीबद्धता” का अर्थ है - इन विनियमों के अध्याय-V के तहत किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (की डीलिस्टिंग) करना;

ज) “पेशेवर कंपनी सचिव” का अर्थ है कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (कंपनी सेक्रेटरीज़ एक्ट, 1980) [1980 का 56] की धारा 2(ग) [2(सी)] में यथा परिभाषित ऐसे कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी), जिसके बारे में यह माना जाए कि वह उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत पेशे में लगा हुआ है;

झ) “विस्तृत सार्वजनिक घोषणा” का अर्थ है - अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा इन विनियमों की अनुसूची-I के साथ पठित विनियम 15 के अनुसार की गई घोषणा;

ञ) “असूचीबद्धता” (डीलिस्टिंग) का अर्थ है - कंपनी के इक्विटी शेयरों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से हटाना, फिर चाहे असूचीबद्धता स्वैच्छिक रूप से की जाए या अनिवार्य रूप से;

ट) “असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की अवधि” का अर्थ है - आरंभिक सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख और, यथास्थिति, जिन शेयरधारकों के शेयर रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के दौरान स्वीकार कर लिए गए हों उन्हें प्रतिफल (कन्सिडरेशन) की रकम अदा किए जाने की तारीख या असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के विफल हो जाने पर शेयर लौटाए जाने की तारीख के बीच की अवधि;

ठ) “निर्धारित कीमत” का अर्थ है - इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया अपनाकर निर्धारित की गई कीमत;

ड) “निम्नतम कीमत” (फ्लोर प्राइस) का अर्थ है वह न्यूनतम कीमत, जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव करते समय देने की पेशकश कर रहा हो और जिसकी गणना अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के विनियम 8 के अनुसार की गई हो;

- ढ) “बारंबार व्यापारित शेयरों” (जिन शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग होती है) का वही अर्थ होगा, जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (समय-समय पर यथा-संशोधित) में इनके लिए दिया हुआ है;
- ण) “सांकेतिक कीमत” (इंडिकेटिव प्राइस) का अर्थ है वह कीमत, जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव लाते समय देने की पेशकश कर रहा हो और जो निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) से अधिक हो;
- त) “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] [समय-समय पर यथा-संशोधित] में इसके लिए दिया हुआ है;
- थ) “आरंभिक सावर्जनिक घोषणा” का अर्थ है ऐसी पहली घोषणा [जिसके अंतर्गत उसमें बाद में किए जाने वाले बदलाव (यदि कोई हों) भी शामिल हैं], जिसके जरिए अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों को सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने की मंशा जाहिर की गई हो;
- द) “दिवाला संहिता” (इन्सॉल्वेन्सी कोड) का अर्थ है - दिवाला और शोधन अधमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31];
- ध) “पीयर रिव्यू कंपनी सचिव” का अर्थ है ऐसा पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी), जो या तो स्वयं या फिर प्रोप्राइटर के रूप में या फिर किसी पीयर रिव्यूड प्रैक्टिस यूनिट के भागीदार के रूप में पेशे में लगा हुआ हो और जिसके पास भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया) द्वारा पीयर रिव्यू करने के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र हो;
- न) “सार्वजनिक शेयरधारिता” (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] [समय-समय पर यथा-संशोधित] के नियम 2(ड) [2(ई)] में इसके लिए दिया हुआ है, और “सार्वजनिक शेयरधारकों” का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा;
- प) “सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों” का वही अर्थ होगा, जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के तहत इनके लिए दिया हुआ है;
- फ) “संप्रवर्तक” (प्रोमोटर) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] [समय-समय पर यथा-संशोधित] में इसके लिए दिया हुआ है;
- ब) “संप्रवर्तक समूह” (प्रोमोटर ग्रुप) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] [समय-समय पर यथा-संशोधित] में इसके लिए दिया हुआ है;
- भ) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का अर्थ है ऐसा कोई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [समय-समय पर यथा-संशोधित] की धारा 4 के तहत मान्यता प्रदान की गई हो;
- म) “अनुसूची” का अर्थ है - इन विनियमों की अनुसूची;
- य) “प्रतिभूतियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों” (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) का अर्थ है - अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996] [1996 का 22], किसी अन्य कानून के संबंधित प्रावधान (जहाँ तक वे बोर्ड के दायरे में आते हों) और उनके तहत बनाए गए संबंधित नियम और विनियम;
- कक) “अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011];
- खख) “स्वैच्छिक असूचीबद्धता” का अर्थ है - इन विनियमों के अध्याय-III के तहत किसी कंपनी द्वारा आवेदन करके स्वैच्छिक रूप से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना;

गग) “मूल्यांकक” (वैल्यूअर) का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) [समय-समय पर यथा-संशोधित] की धारा 247 में इसके लिए दिया हुआ है;

घघ) “मात्रा भारित औसत कीमत” (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) का वही अर्थ होगा, जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (समय-समय पर यथा-संशोधित) में इसके लिए दिया हुआ है;

डड) “कार्य-दिवसों” का अर्थ है - बोर्ड के कार्य-दिवस ।

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्क्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996] [1996 का 22] और/या उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित अन्य सभी शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, ऐसे अधिनियमों या उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनः अधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए दिए हुए हैं ।

अध्याय - II

इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)

इन विनियमों का दायरा और इनका लागू होना

3. (1) ये विनियम कंपनी के इक्विटी शेयरों (जिनमें उच्चतर मताधिकार वाले इक्विटी शेयर भी शामिल हैं) को ऐसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने के प्रति लागू होंगे, जहाँ ऐसे शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों ।

(2) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के उन इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू नहीं होगी -

(क) जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए बिना ही, सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए गए हों और उनमें वहाँ ट्रेडिंग भी हो रही हो;

(ख) जिनकी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेजोल्यूशन प्लान) के अनुसार की जा रही हो और यदि ऐसी योजना के अनुसार:

(i) ऐसे शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना जरूरी हो; या

(ii) मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को निर्धारित कीमत पर निकास (एग्जिट) का अवसर प्रदान करना जरूरी हो:

परंतु यह कि मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास (एग्जिट) का अवसर ऐसी कीमत पर प्रदान किया जाएगा, जो उस कीमत (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) से कम न हो जिस पर संप्रवर्तक (प्रोमोटर) को या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) से जुड़ी किसी एंटीटी को या किसी दूसरे शेयरधारक को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निकास का अवसर प्रदान किया गया हो:

परंतु यह और कि ऐसे शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के ब्यौरे [प्रस्तावित असूचीबद्धता के संबंध में निकास पर दी जाने वाली कीमत (एग्जिट प्राइस) के औचित्य के साथ] उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों) को दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना (रेजोल्यूशन प्लान) को मंजूर किए जाने की तारीख से एक दिन के भीतर, प्रकट (डिस्कलोज़) किए जाएंगे जहाँ शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों ।

असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की शर्तें

4. (1) न तो कोई कंपनी, कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने हेतु आवेदन करेगी और न ही कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उसकी अनुमति देगा:-

(क) जब तक कि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उस वर्ग के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने के बाद तीन वर्षों की अवधि न बीत जाए;

(ख) यदि कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी कोई लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) बकाया हो, जिसे असूचीबद्धता हेतु प्रस्तावित उसी वर्ग के इक्विटी शेयर (शेयरों) में बदला जा सकता हो;

(ग) जब तक कि, कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों का बाय-बैक किए जाने (को क्रय द्वारा वापस लिए जाने) [जिसमें कंपनी की समस्त इक्विटी शेयर पूँजी या इक्विटी शेयर पूँजी के किसी हिस्से का समेकन (कन्सॉलिडेशन) या विभाजन (डिवीज़न) होने के बाद किया जाने वाला बाय-बैक शामिल है] के बाद, ऐसे बाय-बैक के पूरा होने की तारीख से छह महीनों की अवधि न बीत जाए;

(घ) जब तक कि, कंपनी द्वारा अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) किए जाने के बाद, ऐसे आबंटन की तारीख से छह महीने की अवधि न बीत जाए:

परंतु यह कि उप-विनियम (1) के खंड (घ) में दी हुई कोई भी बात न तो उस नए अर्जनकर्ता (उन नए अर्जनकर्ताओं) द्वारा की जाने वाली इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू होगी जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के विनियम 5क के अनुसार प्रस्ताव लाया हो (लाए हों) और न ही उस नए संप्रवर्तक (उन नए संप्रवर्तकों) द्वारा की जाने वाली इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू होगी जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के प्रावधानों के अनुसार पुनःवर्गीकरण (री-क्लासिफिकेशन) किए जाने के बाद संप्रवर्तक बना हो (बने हों)।

(2) कोई भी अर्जनकर्ता (एक्वायरर) कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का प्रस्ताव नहीं करेगा, यदि अर्जनकर्ता इन विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के अनुसार आरंभिक सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से पहले की छह महीनों की अवधि के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयर बेच चुका हो।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (क) एवं खंड (ख) में दी हुई कोई भी बात इन विनियमों के विनियम 5 के तहत आने वाली इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू नहीं होगी।

(4) कोई भी अर्जनकर्ता, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी के पैसे का इस्तेमाल इन विनियमों के अध्याय-IV के अनुसार निकास (एग्जिट) का अवसर प्रदान करने या इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुसार शेयर अर्जित करने के लिए नहीं करेगा।

(5) कोई भी अर्जनकर्ता, इन विनियमों के तहत इक्विटी शेयरों की किसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के संबंध में किए गए प्रस्ताव या उसके संबंध में मिली अनुमति की बाबत अथवा दिए गए निकास (एग्जिट) के अवसर या इक्विटी शेयरों के किए गए दूसरे अर्जन (एक्वीज़िशन) की बाबत, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से,—

(क) किसी शेयरधारक या किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा आदि देने के मकसद से किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं रचेगा या कोई योजना आदि नहीं बनाएगा; या

(ख) ऐसे किसी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) आदि में शामिल नहीं होगा, जो किसी शेयरधारक को या किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा आदि देने के मकसद से किया जा रहा हो; या

(ग) ऐसे किसी कार्य आदि में शामिल नहीं होगा, जो धोखाधड़ी आदि करने या हेराफेरी करने के मकसद से किया जा रहा हो।

अध्याय - III

स्वैच्छिक असूचीबद्धता

भाग - क

उस असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की शर्तें और प्रक्रिया, जहाँ निकास का अवसर प्रदान करना जरूरी न हो

कुछ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)

5. कोई कंपनी, सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को निकास (एग्जिट) का अवसर प्रदान किए बिना ही, एक या एक से अधिक उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करा सकेगी जहाँ वे सूचीबद्ध हों, यदि प्रस्तावित असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के बाद भी इक्विटी शेयर राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहें।

उस असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की प्रक्रिया, जहाँ निकास का अवसर प्रदान करना जरूरी न हो

6. (1) कोई कंपनी जो इन विनियमों के विनियम 5 के प्रावधानों के तहत अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना चाहती हो, वह -

(क) पहले अपने निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की मंजूरी लेगी;

(ख) अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने के लिए संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास आवेदन करेगी;

(ग) संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचारपत्र में (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में), व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचारपत्र में (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में) और जिस क्षेत्र में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज स्थित हो (हों) वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचारपत्र में, एक सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) जारी करेगी;

(घ) असूचीबद्ध (डीलिस्ट) होने के बाद की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में इस प्रकार की गई असूचीबद्धता की जानकारी देगी।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (ग) के तहत जारी की गई सार्वजनिक सूचना में उस स्टॉक एक्सचेंज के नाम (उन स्टॉक एक्सचेंजों के नामों) का उल्लेख किया जाएगा, जहाँ से कंपनी के इक्विटी शेयर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने का इरादा हो, ऐसी असूचीबद्धता के कारण बताए जाएँगे और यह बताया जाएगा कि राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्ट) रहेंगे।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (ख) के तहत असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) हेतु किए जाने वाले आवेदन के संबंध में कार्यवाही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा, ऐसे आवेदन (जो हर तरह से पूरा हो) के प्राप्त होने की तारीख से तीस कार्य-दिवसों के भीतर, की जाएगी।

भाग - ख

उस असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की शर्तें और प्रक्रिया, जहाँ निकास का अवसर प्रदान करना जरूरी हो

सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)

7. कंपनी के इक्विटी शेयर तब राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ वे इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जा सकेंगे, जब अर्जनकर्ता द्वारा इक्विटी शेयरों [जिन्हें असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जाना हो] के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को इन विनियमों के अध्याय-IV के अनुसार निकास (एग्जिट) का अवसर प्रदान किया जा चुका हो और इस अध्याय के भाग-ख में दी हुई प्रक्रिया अपनाई जा चुकी हो।

आरंभिक सार्वजनिक घोषणा

8. (1) जिस तारीख को अर्जनकर्ता, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का निर्णय ले (लें), उस तारीख को वह (वे) सभी स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] के यहाँ एक आरंभिक सार्वजनिक घोषणा करेगा (करेंगे) और स्टॉक एक्सचेंज उसे तुरंत जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे।

(2) आरंभिक सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति, आरंभिक सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय में भी भेजी जाएगी।

(3) आरंभिक सार्वजनिक घोषणा में ऐसी जानकारी दी जाएगी, जो भी बताई जाए और जिसमें निम्नलिखित जानकारी भी शामिल की जाएगी:—

(क) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के कारण;

(ख) इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) एवं (5) का पालन किए जाने के संबंध में एक वचन।

(4) आरंभिक सार्वजनिक घोषणा में न तो कोई जरूरी जानकारी छिपाई जाएगी और न ही गुमराह करने वाली कोई जानकारी दी जाएगी।

प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक की नियुक्ति

9. (1) आरंभिक सार्वजनिक घोषणा किए जाने से पहले, अर्जनकर्ता (एक्वायरर) बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत किसी मर्चेन्ट बैंककार (बैंकर) को प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत नियुक्त किया जाने वाला प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक अर्जनकर्ता का सहयोगी नहीं होगा।
- (3) इन विनियमों के अनुसार की जाने वाली आरंभिक सार्वजनिक घोषणा और उसके बाद किए जाने वाले कार्य आदि अर्जनकर्ता द्वारा प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के माध्यम से किए जाएंगे।

निदेशक मंडल की मंजूरी

10. (1) कंपनी, अर्जनकर्ता के प्रस्ताव [कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने से संबंधित] के संबंध में, आरंभिक सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, निदेशक मंडल की मंजूरी लेगी।
- (2) कंपनी का निदेशक मंडल, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले, एक पीयर रिब्यू कंपनी सचिव को नियुक्त करेगा और ड्यू डिलिजेंस करने हेतु उस कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा: -

(क) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आयोजित की गई बोर्ड की बैठक की तारीख से पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान अर्जनकर्ता या उससे जुड़ी एंटीटियों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों में की गई खरीद, बिक्री और किए गए लेनदेन (डीलिंग) के ब्यौरे (जिनमें इसी अवधि के शीर्ष पच्चीस शेयरधारकों के ब्यौरे भी शामिल हैं);

(ख) खंड (क) में उल्लिखित सभी शेयरधारकों द्वारा दो वर्षों की अवधि के दौरान बाजार से परे किए गए लेनदेनों (ऑफ-मार्केट ट्रांजेक्शन्स) के ब्यौरे;

(ग) यदि कंपनी सचिव की यह राय हो कि उप-विनियम (3) के अनुसार प्रमाणित करने के उद्देश्य से खंड (क) एवं खंड (ख) के तहत दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो कंपनी सचिव द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त जानकारी [इसके अलावा खंड (क) एवं खंड (ख) के अनुसार मांगी जाने वाली जानकारी और अवधि की भी मांगी जा सकती है]।

- (3) उप-विनियम (2) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल से जानकारी प्राप्त करने के बाद, कंपनी सचिव ड्यू डिलिजेंस करेगा और कंपनी के निदेशक मंडल को यह प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि अर्जनकर्ता या उससे जुड़ी एंटीटियों और शीर्ष पच्चीस शेयरधारकों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों में की गई खरीद, बिक्री और किए गए लेनदेन (डीलिंग) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों का पालन [जिसमें इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (5) का पालन भी शामिल है] करते हुए किए गए हैं।

- (4) कंपनी का निदेशक मंडल, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव पर विचार करते समय, यह प्रमाणित करेगा कि —

(क) कंपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों का पालन कर रही है;

(ख) अर्जनकर्ता और उससे जुड़ी एंटीटियाँ कंपनी सचिव की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों का पालन [जिसमें इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (5) का पालन भी शामिल है] कर रही हैं;

(ग) उनकी राय में, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

- (5) इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा लिया गया निर्णय सूचित करते समय, कंपनी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों) को, उप-विनियम (3) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा दी गई ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट और इन विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट) भी प्रस्तुत करेगी।

- (6) उप-विनियम (5) के तहत कंपनी की ओर से सूचना प्राप्त होने पर, स्टॉक एक्सचेंज उन्हें तुरंत जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे।

शेयरधारकों की मंजूरी

11. (1) कंपनी, निदेशक मंडल की मंजूरी मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करेगी।
- (2) विशेष संकल्प, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) और/या ई-वोटिंग के जरिए पारित करवाया जाएगा।
- (3) कंपनी ऐसे संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के संबंध में शेयरधारकों को भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में समस्त महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट (डिस्क्लोज़) करेगी।
- (4) विशेष संकल्प पर तभी कार्रवाई की जाएगी, जब सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या की कम से कम दुगुनी हो।

स्टॉक एक्सचेंज की सैद्धांतिक मंजूरी

12. (1) कंपनी अपने इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी हेतु संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्म में, विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख से या किसी दूसरी कानूनी (स्टैट्यूटरी) अथवा विनियामक (रेग्युलेटरी) मंजूरी मिलने की तारीख (जो भी बाद में आए) से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर, आवेदन करेगी।
- (2) इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी हेतु किए जाने वाले आवेदन के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 [सेबी (डिपॉज़िटरीज़ एंड पार्टिसिपेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] के विनियम 76 के अनुसार लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट [जो उन इक्विटी शेयरों से संबंधित हो जिन्हें असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जाना हो और जो आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों की अवधि से संबंधित हो] भी लगाई जाएगी।
- (3) इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी हेतु किए जाने वाले ऐसे आवेदन के संबंध में, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कार्यवाही, ऐसे आवेदन (जो हर तरह से पूरे हों) के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर, की जाएगी।
- (4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अनुचित रूप से ऐसे किसी आवेदन को लंबित नहीं रखेगा, किन्तु वह कंपनी से यह कह सकेगा कि वह या तो निम्नलिखित के संबंध में उसकी संतुष्टि करे या उसे सूचित करे:
- (क) इन विनियमों के विनियम 10 और विनियम 11 के पालन के बारे में;
- (ख) कंपनी द्वारा निवेशकों की शिकायतों के निवारण के बारे में;
- (ग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को देय सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस अदा किए जाने के बारे में;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2015] [समय-समय पर यथा-संशोधित] के किसी प्रावधान के पालन (जिससे कि उसके इक्विटी शेयरधारकों के हितों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता हो) के बारे में;
- (ङ) प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों आदि या किसी दूसरे मामले के संबंध में कंपनी के खिलाफ चल रहे ऐसे किसी मुकदमे या चल रही ऐसी किसी कार्रवाई के बारे में, जिसका उसके इक्विटी शेयरधारकों के हितों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता हो;
- (च) ऐसे किसी दूसरे संबंधित मामले के बारे में, जो वह ठीक समझे।

अध्याय - IV

निकास का अवसर

अध्याय-IV का लागू होना

13. इस अध्याय के प्रावधान सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने के प्रस्ताव के प्रति लागू होंगे।

एस्क्रो अकाउंट

14. (1) अर्जनकर्ता, शेयरधारकों की मंजूरी मिलने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (कमर्शियल बैंक) में एक एस्क्रो अकाउंट (जिस पर ब्याज मिलता हो) खुलवाएगा, और उसमें कुल प्रतिफल (कन्सिडरेशन) {जिसकी गणना सार्वजनिक शेयरधारकों के पास बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) [यदि इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (4) के अनुसार अर्जनकर्ता द्वारा कोई सांकेतिक कीमत दी गई हो], जो भी अधिक हो, से गुणा करके की जाएगी} के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की रकम जमा कराएगा।

(2) अर्जनकर्ता इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो अकाउंट खुलवाने के उद्देश्य से प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक और बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय करार करेगा, और प्रस्ताव के प्रबंधक को वह अकाउंट चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(3) इन विनियमों के विनियम 15 के तहत के तहत विस्तृत सार्वजनिक घोषणा करने से पहले, अर्जनकर्ता एस्क्रो अकाउंट में, शेष प्रतिफल (कन्सिडरेशन) {जिसकी गणना सार्वजनिक शेयरधारकों के पास बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) [यदि इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (4) के अनुसार अर्जनकर्ता द्वारा कोई सांकेतिक कीमत दी गई हो], जो भी अधिक हो, से गुणा करके की जाएगी} की शेष रकम (यानि कि पचहत्तर प्रतिशत रकम) जमा कराएगा।

(4) निर्धारित कीमत तय हो जाने और निर्धारित कीमत स्वीकार करते हुए इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के तहत सार्वजनिक घोषणा करने के बाद, अर्जनकर्ता एस्क्रो अकाउंट में उतनी और रकम तुरंत जमा कराएगा, जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास बकाया इक्विटी शेयरों के संबंध में प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के रूप में देय समस्त रकम अदा करने के लिए पर्याप्त हो।

(5) एस्क्रो अकाउंट में या तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास जमा कराई गई नकद रकम शामिल होगी या प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के पक्ष में दी गई बैंक गारंटी शामिल होगी या फिर दोनों ही शामिल होंगे।

(6) जहाँ एस्क्रो अकाउंट में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास जमा रकम शामिल हो, वहाँ अर्जनकर्ता, खाता खुलवाते समय, प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक को, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, एस्क्रो अकाउंट में पड़ी रकम इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत ऐसे किसी दूसरे माध्यम से अंतरित (ट्रांसफर) करने के लिए और बैंक को बैंक चैक या मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) जारी करने के अनुदेश देने के लिए प्राधिकृत करेगा, और असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) में सौंपे गए इक्विटी शेयरों तथा इन विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (1) के तहत सौंपे गए इक्विटी शेयरों हेतु पूरा प्रतिफल (कन्सिडरेशन) अदा करने के बाद इस अकाउंट में पड़ी शेष रकम (यदि कोई हो) अर्जनकर्ता को लौटा दी जाएगी।

(7) जहाँ एस्क्रो अकाउंट में बैंक गारंटी शामिल हो, वहाँ ऐसी बैंक गारंटी इन विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (1) के तहत सौंपे गए समस्त शेयरों के संबंध में भुगतान किए जाने तक मान्य रहेगी।

(8) असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के विफल हो जाने की दशा में, एस्क्रो अकाउंट में पड़ी रकम की निम्नानवे प्रतिशत रकम अर्जनकर्ता को, इस प्रकार प्रस्ताव के विफल हो जाने के संबंध में सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, लौटा दी जाएगी।

(9) एस्क्रो अकाउंट में पड़ी शेष एक प्रतिशत रकम, इन विनियमों में दी हुई समय-सीमाओं के अनुसार, प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक द्वारा सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयर लौटाए जाने या उनके शेयरों पर सृजित (मार्क) किए गए धारणाधिकार (लियन) को हटाए जाने की पुष्टि किए जाने के बाद लौटा दी जाएगी।

विस्तृत सार्वजनिक घोषणा

15. (1) अर्जनकर्ता, इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने के संबंध में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचारपत्र में (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में), व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचारपत्र में (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में) और जिस क्षेत्र में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज स्थित हो (हों) वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचारपत्र में एक विस्तृत सार्वजनिक घोषणा जारी करेगा।

(2) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी (जिसमें इन विनियमों की अनुसूची-1 के अनुसार दी जाने वाली जानकारी शामिल है) दी जाएगी और साथ ही उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी जो झूठी हो या गुमराह करने वाली हो।

(3) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा में एक तारीख (जो विस्तृत सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस से बाद की न हो) भी निर्धारित की जाएगी, जो उन शेयरधारकों के नाम तय करने हेतु 'निर्धारित तारीख' होगी जिन्हें प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) भेजा जाएगा।

(4) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा पर अर्जनकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस पर तारीख भी डाली जाएगी।

स्पष्टीकरण — यदि अर्जनकर्ता एक कंपनी हो, तो विस्तृत सार्वजनिक घोषणा पर कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से उसके प्रबंधक (मैनेजर) या सचिव (सेक्रेटरी) [यदि कोई हो], और कंपनी के कम से कम दो निदेशकों [जिनमें से एक प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) होगा (यदि कंपनी में प्रबंध निदेशक होता हो)] द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस पर तारीख भी डाली जाएगी।

प्रस्ताव-पत्र

16. (1) अर्जनकर्ता सार्वजनिक शेयरधारकों को, इन विनियमों के विनियम 15 के तहत विस्तृत सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) भिजवाएगा।

(2) प्रस्ताव-पत्र उन सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को भिजवाया जाएगा, जिनके पास उस वर्ग के इक्विटी शेयर हों जिन्हें असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जाना हो और जिनके नाम विस्तृत सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित की गई तारीख तक की स्थिति के अनुसार कंपनी या निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के रजिस्टर में हों।

(3) प्रस्ताव-पत्र की एक प्रति, सार्वजनिक शेयरधारकों की सुविधा के लिए, कंपनी और प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के वेबसाइटों पर भी डलवाई जाएगी।

(4) प्रस्ताव-पत्र में ऐसी समस्त जानकारी दी जाएगी जो विस्तृत सार्वजनिक घोषणा में दी गई हो और साथ ही ऐसी दूसरी जानकारी भी दी जाएगी जो शेयरधारकों द्वारा सोच-समझकर निर्णय लिए जाने के लिहाज से जरूरी हो।

(5) प्रस्ताव-पत्र में जिन दस्तावेजों का जिक्र हो, उन समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होगा, और प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक निरीक्षण में सहयोग करेगा।

(6) प्रस्ताव-पत्र के साथ एक फॉर्म भी लगाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक शेयरधारक, यथास्थिति, या तो धारणाधिकार (लियन) सृजित (मार्क) करने या फिर कागज़ी शेयर सौंपने के लिए कर सकेंगे।

(7) पात्र सार्वजनिक शेयरधारक इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के प्रस्ताव में हिस्सा ले सकेगा और बोलियाँ लगा सकेगा, फिर भले ही उसे फॉर्म या प्रस्ताव-पत्र न मिला हो और ऐसा शेयरधारक शेयर सौंप सकेगा, उसी प्रकार जैसा इस संबंध में बोर्ड द्वारा बताया जाए।

बोली लगाने (बिडिंग) की व्यवस्था

17. (1) बोली लगाने की अवधि विस्तृत सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर शुरू होगी और जो पाँच कार्य-दिवसों तक खुली रहेगी।

(2) अर्जनकर्ता स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था के जरिए शेयरधारकों द्वारा शेयर सौंपे जाने और उनके संबंध में निपटान (सेटलमेंट) किए जाने की सुविधा मुहैया कराएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(3) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि रिवर्स बुक बिडिंग की प्रक्रिया का परिणाम बोली लगाने (बिडिंग) की अवधि के समाप्त होने से दो घंटों के भीतर घोषित कर दिया जाए।

(4) बोली लगाने की अवधि के समाप्त होने से दो कार्य-दिवसों के भीतर, अर्जनकर्ता, प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के जरिए, उन्हीं समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक घोषणा करेगा जिनमें इन विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के तहत विस्तृत सार्वजनिक घोषणा की गई थी, और यह बताएगा कि रिवर्स बुक बिडिंग की प्रक्रिया सफल रही या विफल रही, और साथ ही यदि प्रक्रिया सफल रही हो तो वह उसके द्वारा स्वीकार की गई 'निर्धारित कीमत' भी बताएगा।

शेयर सौंपने का तरीका

18. इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उसी प्रकार सौंपे जाएंगे [जिसमें स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था के जरिए शेयरों पर धारणाधिकार (लियन) सृजित (मार्क) करना शामिल है], जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

शेयरधारकों का रिवर्स बुक बिलिंटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार

19. (1) जिन सार्वजनिक शेयरधारकों के पास कंपनी के ऐसे इक्विटी शेयर हों, जिन्हें असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जाना हो, उन्हें उसी प्रकार रिवर्स बुक बिलिंटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का हक होगा, जैसा इन विनियमों की अनुसूची-II में बताया गया है।

(2) निर्गम (इश्यू) का प्रबंधक उप-विनियम (1) का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों के आधार पर जारी की गई निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के किसी धारक को और जिस अभिरक्षक (कस्टोडियन) की अभिरक्षा (कस्टडी) में ऐसे इक्विटी शेयर रखे हों उसे, रिवर्स बुक बिलिंटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का हक नहीं होगा:

परंतु यह कि निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) का कोई धारक, ऐसी निक्षेपागार रसीदों को कंपनी के इक्विटी शेयरों [जिन्हें असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो] में बदलने के बाद, उप-विनियम (1) के अनुसार रिवर्स बुक बिलिंटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा।

निर्धारित कीमत

20. (1) उप-विनियम (2) के तहत निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) तय किए जाने के बाद, निर्धारित कीमत रिवर्स बुक बिलिंटिंग की प्रक्रिया के जरिए उसी प्रकार तय की जाएगी जैसा इन विनियमों की अनुसूची-II में बताया गया है, और प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक उसकी जानकारी विस्तृत सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में देगा।

(2) निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के विनियम 8, जैसा भी लागू हो, के अनुसार तय की जाएगी।

(3) निम्नतम कीमत की गणना करने हेतु संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) वह तारीख होगी, जिस तारीख को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड की (एक्सचेंजों) उस बैठक की सूचना देना जरूरी था जिस बैठक में असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उसे मंजूरी दी गई थी।

(4) अर्जनकर्ता के पास, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में ऐसी सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) बताने का विकल्प होगा, जो निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) [जिसकी गणना उप-विनियम (2) के अनुसार की गई हो] से अधिक होगी।

(5) अर्जनकर्ता के पास, बोली लगाने की अवधि शुरू होने से पहले सांकेतिक कीमत को बढ़ाने का भी विकल्प होगा और जिसकी जानकारी शेयरधारकों को विधिवत् रूप से दे दी जाएगी।

(6) अर्जनकर्ता, यदि वह ठीक समझे तो, उप-विनियम (1) के अनुसार तय की गई निर्धारित कीमत से अधिक कीमत अदा कर सकेगा।

अर्जित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की न्यूनतम संख्या

21. यथास्थिति, इन विनियमों के अध्याय-III के तहत लाए गए प्रस्ताव (ऑफर) या इन विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (4) के अनुसार अर्जनकर्ता द्वारा लाए गए काउंटर ऑफर को तब सफल माना जाएगा, जब,-

(क) प्रस्ताव (ऑफर) के बाद अर्जनकर्ता के शेयर और सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा, यथास्थिति, निर्धारित कीमत या काउंटर ऑफर पर मिलने वाली कीमत पर सौंपे गए शेयरों (जो पात्र बोलियों के रूप में स्वीकार कर लिए गए हों) की संख्या जारी किए गए उस वर्ग के कुल शेयरों के नब्बे प्रतिशत तक पहुँच जाए, किन्तु इसमें:

(i) अभिरक्षक (अभिरक्षकों) [कस्टोडियन] के पास पड़े वे शेयर शामिल नहीं होंगे, जिनकी एवज में किसी दूसरे देश (किन्हीं दूसरे देशों) में निक्षेपागार रसीदें (डिपॉजिटरी रिसीट्स) जारी की गई हों;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 [सेबी (शेयर बेस्ड एम्पलॉई बेनिफिट्स) रेग्यूलेशन, 2014] के तहत कर्मचारी फायदा स्कीम (एम्पलॉई बेनिफिट स्कीम) लागू कराने के लिए बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) के पास पड़े शेयर शामिल नहीं होंगे;

(iii) जो शेयरधारक सक्रिय न हों (जैसे कि गायब कंपनियाँ और वे कंपनियाँ जिनके नाम रजिस्टर से काटे जा चुके हों) उनके पास पड़े शेयर, निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि के खाते में अंतरित (ट्रांसफर) किए गए शेयर तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2015] की अनुसूची-VI के साथ पठित विनियम 39 के उप-विनियम (4) के अनुसार पड़े शेयर शामिल नहीं होंगे:

परंतु यह कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ड्यू डिलीजेंस करने के लिए नियुक्त किए गए पीयर रिव्यू कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा ऐसे शेयरधारकों की पुष्टि की जाएगी।

स्पष्टीकरण — कौन-कौन से शेयरधारक सक्रिय शेयरधारक नहीं हैं, यह तय करने की अंतिम तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को स्टॉक एक्सचेंज की सैद्धांतिक मंजूरी मिले, और जिसकी जानकारी सार्वजनिक घोषणा में उपयुक्त रूप से दी जाएगी।

निर्धारित कीमत या काउंटर ऑफर को स्वीकार करने या स्वीकार न करने का विकल्प

22. (1) यदि रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के जरिए तय की गई निर्धारित कीमत निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा प्रस्तावित सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस), यदि कोई हो, के बराबर हो, तो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) में सौंपे गए इक्विटी शेयरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।

(2) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) उसके द्वारा प्रस्तावित सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस), यदि कोई हो, पर इक्विटी शेयरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, फिर भले ही रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के जरिए तय की गई कीमत निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) से अधिक हो और सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) से कम हो।

(3) यदि निर्धारित कीमत सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) से अधिक हो, तो उप-विनियम (1) एवं (2) में दी हुई कोई भी बात लागू नहीं होगी।

(4) यदि निर्धारित कीमत अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को स्वीकार न हो, तो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के लिए, बोली लगाने की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, काउंटर ऑफर ला सकेगा, और उसके बाद अर्जनकर्ता (एक्वायरर) इन विनियमों की अनुसूची-IV में दी हुई समय-सीमाओं के अनुसार इन विनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

(5) काउंटर ऑफर में दी गई कीमत कंपनी के बही मूल्य (बुक वैल्यू), जो प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक (मैनेजर) द्वारा प्रमाणित की जाए, से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - उप-विनियम (5) के प्रयोजनार्थ, बही मूल्य (बुक वैल्यू) की गणना, काउंटर ऑफर की सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास दाखिल किए गए अंतिम तिमाही के वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी के समेकित (कन्सॉलिडेटेड) तथा एकल (स्टैंडअलोन) दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी, और इस प्रकार गणना किए जाने के बाद जो भी मूल्य ज्यादा हो उसे बही मूल्य (बुक वैल्यू) माना जाएगा।

प्रस्ताव (ऑफर) का विफल होना

23. (1) असूचीबद्धता का प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) इन मामलों में विफल माना जाएगा:-

(क) जब सौंपे गए शेयरों की संख्या कम से कम उतनी न हो, जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 21 के खंड (क) में किया गया है।

स्पष्टीकरण - यदि काउंटर ऑफर अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा इन विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (4) के अनुसार लाया गया हो, तो ऐसे में काउंटर ऑफर की विफलता खंड (क) के अनुसार आंकी जाएगी; या

(ख) जब रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के जरिए निर्धारित कीमत अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा स्वीकार न की गई हो।

(2) यदि असूचीबद्धता का प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) विफल हो जाए, तो ऐसे में -

(क) इन विनियमों की, यथास्थिति, अनुसूची-II या अनुसूची-IV के अनुसार सौंपे गए इक्विटी शेयर -

(i) यदि सौंपे गए शेयरों की संख्या कम से कम उतनी न हो जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 21 के खंड (क) में किया गया है, तो इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (3) के अनुसार रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया का परिणाम घोषित किए जाने की तारीख को लौटा दिए जाएंगे;

(ii) यदि रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के जरिए निर्धारित कीमत अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा स्वीकार न की जाए, तो इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के अनुसार असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के विफल होने के संबंध में सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख को लौटा दिए जाएंगे;

(iii) यदि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा काउंटर ऑफर लाया जाए, तो इन विनियमों की अनुसूची-IV के अनुसार लौटा दिए जाएंगे:

परंतु यह कि यदि प्रस्ताव (ऑफर) अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (रेग्यूलेशन) के विनियम 5क के अनुसार लाया गया हो, तो ऐसे में अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के लिए शेयर लौटाना जरूरी नहीं होगा।

(ख) असूचीबद्धता के प्रस्ताव से संबंधित खर्चे अर्जनकर्ता (एक्वायरर) उठाएगा।

(ग) जिस अर्जनकर्ता (एक्वायरर) का असूचीबद्धता का प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) विफल हो गया हो, वह -

(i) इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (3) के अनुसार रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया का परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से छह महीने समाप्त होने तक असूचीबद्धता का कोई और प्रस्ताव (ऑफर) नहीं लाएगा, यदि सौंपे गए शेयरों की संख्या कम से कम उतनी न हो जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 21 के खंड (क) में किया गया है;

(ii) इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के अनुसार असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के विफल होने के संबंध में सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से छह महीने समाप्त होने तक असूचीबद्धता का कोई और प्रस्ताव (ऑफर) नहीं लाएगा, यदि रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के जरिए निर्धारित कीमत अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा स्वीकार न की गई हो;

(iii) काउंटर ऑफर के विफल होने के संबंध में इन विनियमों की अनुसूची-IV के अनुसार सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से छह महीने समाप्त होने तक असूचीबद्धता का कोई और प्रस्ताव (ऑफर) नहीं लाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के खंड (ग) में दी हुई कोई भी बात भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2015] के प्रावधानों के अनुसार पुनःवर्गीकरण किए जाने के बाद बने किसी नए संप्रवर्तक (किन्हीं नए संप्रवर्तकों) [प्रमोटर्स] द्वारा की जाने वाली इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू नहीं होगी, या ऐसे किसी नए अर्जनकर्ता (ऐसे किन्हीं नए अर्जनकर्ताओं) द्वारा की जाने वाली इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू नहीं होगी जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के विनियम 5क के अनुसार प्रस्ताव (ऑफर) लाया हो (लाए हों)।

प्रस्ताव (ऑफर) के सफल होने पर भुगतान

24. (1) जिन सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) की बोलियाँ स्वीकार कर ली जाएं, उन्हें निर्धारित कीमत या उससे अधिक कीमत (यदि कोई हो) [जिसकी पेशकश इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (6) के अनुसार अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा की गई हो और जिसका जिक्र सार्वजनिक घोषणा में किया गया हो] इस प्रकार अदा की जाएगी-

(i) यदि निर्धारित कीमत निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) [विनियम 20 के अनुसार] के बराबर हो, या यदि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) इन विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (2) के अनुसार असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के तहत इक्विटी शेयर स्वीकार करने के लिए बाध्य हो, तो ऐसे में कीमत द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) में अपनाई जाने वाली निपटान (सेटलमेंट) की व्यवस्था के जरिए अदा की जाएगी;

(ii) यदि निर्धारित कीमत या वह कीमत जिसकी पेशकश इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (6) के अनुसार अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा की गई हो (यदि कोई हो), यथास्थिति, निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) से अधिक हो, तो ऐसे में कीमत इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के अनुसार सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर अदा की जाएगी।

(2) यदि उप-विनियम (1) के अनुसार अदा की जाने वाली कीमत उसमें बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को अदा न की जाए, तो ऐसे में अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना होगा जिनकी बोलियाँ असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के तहत स्वीकार कर ली गई हों:

परंतु यह कि यदि इस प्रकार कीमत अदा करने में हुई देरी अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा कुछ किए जाने या कुछ न किए जाने की वजह से न हुई हो अथवा ऐसी परिस्थितियों की वजह से हुई हो जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के नियंत्रण के बाहर हों, तो ऐसे में बोर्ड इस प्रकार ब्याज अदा करने से छूट प्रदान कर सकेगा।

असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के सफल हो जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के पास अंतिम आवेदन

25. (1) इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को भुगतान (कीमत अदा) किए जाने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, अर्जनकर्ता (एक्वायरर) संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए अंतिम आवेदन ऐसे फॉर्म में करेगा, जो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए किए जाने वाले अंतिम आवेदन के साथ, इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार निकास (एग्जिट) का अवसर प्रदान कर दिए जाने से संबंधित ऐसे जरूरी ब्यौरे भी दिए जाएंगे / ऐसी जरूरी जानकारी भी दी जाएगी, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज देने को कहे (कहें)।

(3) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए किए जाने वाले अंतिम आवेदन पर कार्यवाही, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर, कर ली जाएगी, जो हर तरह से पूरा हो।

(4) उप-विनियम (3) के अनुसार असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए किए गए अंतिम आवेदन पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा कार्यवाही कर लिए जाने के बाद, कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से हमेशा के लिए असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर दिए जाएंगे।

बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) का इक्विटी शेयर सौंपने का अधिकार

26. (1) बाकी के जिन सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के शेयर बोली लगाने की अवधि के दौरान या तो स्वीकार न किए गए हों या फिर जिनके द्वारा शेयर सौंपे ही न गए हों, उन्हें असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक अपने इक्विटी शेयर सौंपने का अधिकार होगा।

(2) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) ऐसी अवधि के दौरान उप-विनियम (1) के अनुसार बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के शेयरों को उसी कीमत पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, जिस कीमत पर इक्विटी शेयर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए गए हों।

(3) उप-विनियम (2) के अनुसार स्वीकार किए गए इक्विटी शेयरों के लिए प्रतिफल (कन्सिडरेशन) की रकम एस्क्रो अकाउंट में पड़ी शेष रकम में से अदा की जाएगी।

(4) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक (मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा कि एस्क्रो अकाउंट में पड़ी रकम या बैंक गारंटी कम से कम एक वर्ष की अवधि तक या बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को भुगतान किए जाने तक, जो भी पहले हो, अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को न लौटाई जाए।

बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

27. (1) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक, अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के साथ समन्वय करके, यह सुनिश्चित करेगा कि बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के अधिकार सुरक्षित रहें और इसके लिए वह:

(क) तिमाही आधार पर, उन्हीं समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जिनमें इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, और ऐसे विज्ञापन के माध्यम से बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को शेयरों के असूचीबद्ध हो जाने के बाद से एक वर्ष की अवधि तक निकास (एग्जिट) के अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा जाएगा;

(ख) तिमाही आधार पर बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को सूचनाएँ आदि भेजता रहेगा; और

(ग) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, और जिसमें :

(i) यह बताया जाएगा कि तिमाही की शुरुआत में बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या कितनी थी और तिमाही के अंत में कितनी रह गई है; और

(ii) उन सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के ब्यौरे दिए जाएंगे, जिन्होंने तिमाही के दौरान निकास (एग्जिट) के अवसर का लाभ उठाया हो।

(2) स्टॉक एक्सचेंज इस पर नज़र रखेगा (रखेंगे) कि उप-विनियम (1) का पालन हो रहा है या नहीं।

कंपनी की बाध्यताएँ

28. (1) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा मिल जाने पर, कंपनी का निदेशक मंडल असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के संबंध में तर्कसंगत सिफारिशें देने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन करेगा।

(2) स्वतंत्र निदेशकों की समिति इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में अपनी तर्कसंगत सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, और इस संबंध में समिति बाहर से पेशेवर सलाह भी ले सकेगी जिसका खर्चा कंपनी उठाएगी।

(3) स्वतंत्र निदेशकों की समिति, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में तर्कसंगत सिफारिशें देते समय, यह बताएगी कि जिस बैठक में उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी उस बैठक में मत कैसे पड़े (का वोटिंग पैटर्न क्या रहा)।

(4) कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की समिति की ऐसी सिफारिशें [यह बताते हुए कि जिस बैठक में प्रस्ताव (ऑफर) पर चर्चा हुई थी उस बैठक में मत कैसे पड़े (का वोटिंग पैटर्न क्या रहा)], बोली लगाने की अवधि शुरू होने की तारीख से कम से कम दो कार्य-दिवस पहले, उन्हीं समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगी जिनमें इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, और साथ ही साथ उसकी एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) और प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक को भी भिजवाई जाएगी।

प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक की बाध्यताएँ

29. (1) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा करने से पहले, इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने के लिए नियुक्त किया गया प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) की प्रक्रिया पूरी कर पाने में सक्षम है; और

(ख) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के संबंध में किए जाने वाले भुगतान की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पैसे (फंड) के पक्के इंतजाम ऐसे माध्यमों के जरिए कर लिए गए हैं, जिनकी पुष्टि की जा सकती हो।

(2) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि आरंभिक सार्वजनिक घोषणा, विस्तृत सार्वजनिक घोषणा, प्रस्ताव-पत्र (लेटर आफ ऑफर) और बोली लगाने के बाद जारी किए जाने वाले विज्ञापन (विज्ञापनों) में दी जाने वाली जानकारी आदि समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से पूर्ण, सत्य, सही और पर्याप्त हो, विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हो और इनके संबंध में इन विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया हो।

(3) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करवाने के उद्देश्य से जिन बाजार मध्यवर्तियों (मार्केट इंटरमीडियरीज़) को नियुक्त किया गया है, वे बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर हुए) हों।

(4) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक इन विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता तथा सावधानी बरतेगा और पेशेवर ढंग से निर्णय लेगा।

(5) प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक, प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से लेकर असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) की प्रक्रिया पूरी होने तक, अपने खाते से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने सहयोगियों (असोसिएट्स) के जरिए कंपनी के शेयरों में लेनदेन (डील) नहीं करेगा।

(6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक की होगी कि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करे।

अर्जनकर्ता (एक्वायरर) की बाध्यताएँ

30. (1) इन विनियमों के तहत इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने के लिए लाए जाने वाले प्रस्ताव (ऑफर) की आरंभिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले, अर्जनकर्ता (एक्वायरर) यह सुनिश्चित करेगा कि असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के संबंध में किए जाने वाले भुगतान की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पैसे के पक्के इंतजाम कर लिए गए हैं और यह कि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) की प्रक्रिया पूरी कर पाने में सक्षम है, और साथ ही असूचीबद्धता का प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी मंजूरियाँ भी ले ली जाएं।

(2) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) यह सुनिश्चित करेगा कि आरंभिक सार्वजनिक घोषणा, विस्तृत सार्वजनिक घोषणा, प्रस्ताव-पत्र (लेटर आफ ऑफर) और असूचीबद्धता के प्रस्ताव के सफल होने या विफल होने की घोषणा में दी जाने वाली जानकारी आदि समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से सत्य, सही और पर्याप्त हो, तथा गुमराह करने वाली भी न हो और जो विश्वसनीय स्रोतों (जिनका जिक्र जहाँ कहीं भी करना जरूरी हो किया जाएगा) पर आधारित हो।

(3) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) और उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति इन विनियमों के अनुसार लागू बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, मिलकर और अलग-अलग, जिम्मेदार रहेंगे।

(4) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) यह सुनिश्चित करेगा कि वह बाकी के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा सौंपे जाने वाले शेयर कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उसी कीमत पर ले, जिस कीमत पर इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हुए हों।

(5) कोई भी अर्जनकर्ता (एक्वायरर) या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की अवधि के दौरान कंपनी के शेयर नहीं बेचेंगे।

बकाया निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) रद्द करना

31. राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से इक्विटी शेयरों के असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो जाने के बाद, कंपनी को, इस प्रकार असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, दूसरे देश (देशों) में जारी की गई सभी बकाया निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) अनिवार्य रूप से रद्द करनी होंगी और निक्षेपागार रसीदों को रद्द किए जाने के बाद उन्हें अपने देश में अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों में बदलना होगा।

अध्याय - V

अनिवार्य असूचीबद्धता

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनिवार्य असूचीबद्धता

32. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, तर्कसंगत आदेश जारी करके, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्क्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42] के तहत बनाए गए नियमों में दिए गए किसी भी आधार पर किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर सकेगा:

परंतु यह कि कोई भी आदेश इस उप-विनियम के तहत तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न कर दिया जाए।

(2) अनिवार्य असूचीबद्धता के संबंध में निर्णय मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा गठित किए जाने वाले पैनल द्वारा लिया जाएगा, जिसके सदस्य होंगे -

(क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के दो निदेशक, जिनमें से एक जन प्रतिनिधि होगा;

(ख) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त निवेशक संघ का एक प्रतिनिधि;

(ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय या कंपनी रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि; और

(घ) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक (एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर) या सचिव (सेक्रेटरी)।

(3) उप-विनियम (1) के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापक परिचालन वाले कम से कम, एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचारपत्र (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में), व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचारपत्र (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में) और जिस क्षेत्र में संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक समाचारपत्र में एक सूचना (नोटिस) जारी करेगा, जिसमें प्रस्तावित असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की जानकारी दी जाएगी, और ऐसी सूचना (नोटिस) की तारीख से कम से कम पंद्रह कार्य-दिवसों का समय देगा, जिसके भीतर इस प्रकार प्रस्तावित असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) से असंतुष्ट किसी व्यक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास निवेदन आदि, यदि कोई हों, प्रस्तुत किए जा सकेंगे, और वह अपने ट्रेडिंग सिस्टमों तथा वेबसाइट पर भी यह सूचना (नोटिस) डलवाएगा।

(4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, उप-विनियम (1) के तहत कोई आदेश पारित करते समय, कंपनी द्वारा किए गए निवेदन आदि, यदि कोई हो, पर और उप-विनियम (3) के तहत दी गई सूचना (नोटिस) के प्रति मिले किसी निवेदन आदि पर भी विचार करेगा, और इन विनियमों की अनुसूची-III में दिए हुए दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(5) जहाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उप-विनियम (1) के तहत कोई आदेश पारित करे, वहाँ वह, -

(क) व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचारपत्र (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में), व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचारपत्र (देशभर में छपने वाले सभी संस्करणों में) और जिस क्षेत्र में संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के एक समाचारपत्र में तुरंत एक सूचना (नोटिस) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस प्रकार की जाने वाली असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की जानकारी दी जाएगी, और उसमें कंपनी का नाम तथा पता बताया जाएगा, असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य [जो इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (1) के अनुसार तय किया जाए] बताया जाएगा और कंपनी के उन संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के नाम तथा पते भी बताए जाएंगे जिनकी इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुसार जिम्मेदारी बनती है।

(ख) उन सभी अन्य स्टॉक एक्सचेंजों को इस प्रकार की जाने वाली असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की जानकारी देगा, जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों; और

(ग) उपरोक्त आदेश की एक प्रति अपने वेबसाइट पर डलवाएगा।

(6) इन विनियमों के अध्याय-IV के प्रावधान, इस अध्याय के तहत किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाने वाली अनिवार्य असूचीबद्धता के प्रति लागू नहीं होंगे।

अनिवार्य असूचीबद्धता के मामले में सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के अधिकार

33. (1) जहाँ किसी कंपनी के इक्विटी शेयर इस अध्याय के तहत किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जाने हों, वहाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्वतंत्र मूल्यांकक (मूल्यांककों) [वैल्यूअर] को नियुक्त करेगा जो असूचीबद्ध किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य तय करेगा (करेंगे)।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांककों का एक पैनल बनाया जाएगा, और उस पैनल में से उप-विनियम (1) के अनुसार मूल्यांकक नियुक्त किया जाएगा (किए जाएंगे)।

(3) असूचीबद्ध किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य मूल्यांकक (मूल्यांककों) द्वारा, इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित मानदंडों के मद्देनजर, तय किया जाएगा।

(4) कंपनी का (के) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को मूल्यांकक द्वारा तय किया गया मूल्य, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध किए जाने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, अदा करके उनसे ले लेगा (लेंगे), हालांकि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयर अपने पास रखने का विकल्प होगा।

(5) यदि उप-विनियम (3) के अनुसार अदा की जाने वाली कीमत उप-विनियम (4) के तहत बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को अदा न की जाए, तो ऐसे में संप्रवर्तक (प्रोमोटर) को उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना होगा, जिन्होंने अनिवार्य सूचीबद्धता के प्रस्ताव (ऑफर) के तहत अपने शेयर सौंपे हों:

परंतु यह कि यदि इस प्रकार कीमत अदा करने में हुई देरी अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा कुछ किए जाने या कुछ न किए जाने की वजह से न हुई हो अथवा ऐसी परिस्थितियों की वजह से हुई हो जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के नियंत्रण के बाहर हों, तो ऐसे में बोर्ड इस प्रकार ब्याज अदा करने से छूट प्रदान कर सकेगा।

अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम

34. (1) जहाँ किसी कंपनी को इस अध्याय के तहत अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर दिया गया हो, वहाँ कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और वे कंपनियाँ जो उनमें से किसी के भी द्वारा संप्रवर्तित हो, इस प्रकार असूचीबद्ध होने की तारीख से दस वर्षों की अवधि तक, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच नहीं रखेंगे या किन्हीं इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने की मांग नहीं करेंगे या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

(2) ऐसी कंपनी के मामले में, जिसका उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) धनात्मक हो -

(क) ऐसी कंपनी और निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के किन्हीं इक्विटी शेयरों का अंतरण (ट्रांसफर) [बिक्री, गिरवी, आदि के जरिए] तब तक नहीं करेंगे, और संप्रवर्तकों / संप्रवर्तक समूह के सभी इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी फायदों (कारपोरेट बेनिफिट्स) [जैसे लाभांश (डिविडेंड), साधिकार (राइट्स), बोनस शेयर, विभाजन (स्प्लिट), आदि] पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक ऐसी कंपनी के संप्रवर्तक इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को निकास का विकल्प (एग्जिट ऑप्शन) प्रदान न कर दें, जिसे संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया जाएगा;

(ख) जिस कंपनी को अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया हो गई हो उसके संप्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तब तक किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के निदेशक बनने के लिए भी पात्र नहीं होंगे, जब तक खंड (क) के अनुसार निकास का विकल्प (एग्जिट ऑप्शन) प्रदान न कर दिया जाए।

(3) स्टॉक एक्सचेंज इस अध्याय के प्रावधानों के पालन पर नज़र रखेगा (रखेंगे) और उनका पालन न किए जाने के मामले में इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करेगा (करेंगे)।

अध्याय - VI

भाग - क

छोटी कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान

छोटी कंपनियों के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना

35. (1) किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ वे सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] से, इन विनियमों के अध्याय-IV में दी हुई प्रक्रिया अपनाए बिना ही, असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जा सकेंगे, यदि,-

(क) पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड अप कैपिटल) दस करोड़ रुपये से ज्यादा की न हो और उसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पच्चीस करोड़ रुपये से ज्यादा की न हो;

(ख) बोर्ड की जिस बैठक में इन विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार किया गया था उस बैठक की तारीख से ठीक पहले के बारह कलेंडर महीनों के दौरान ऐसे प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के जिन इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग हुई हो, उनकी संख्या कंपनी के शेयरों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से कम हो:

परंतु यह कि जहाँ कंपनी किसी वर्ग विशेष के शेयरों की शेयर पूँजी (शेयर कैपिटल) ऐसी अवधि के दौरान लगातार एक सी न बनी रहे, वहाँ ऐसे वर्ग के शेयरों का भारित औसत (वेटेड एवरेज) कंपनी के ऐसे वर्ग के शेयरों की कुल संख्या को दर्शाएगा;

(ग) कंपनी को पिछले एक वर्ष में पालन न किए जाने के किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबित न किया गया हो।

(2) उप-विनियम (1) के तहत इक्विटी शेयरों को केवल तभी असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराया जा सकेगा, जब इन विनियमों के विनियम 10 और विनियम 11 में दी हुई अपेक्षाओं का पालन करने के अलावा, निम्नलिखित शर्तें भी पूरी की जाएँ:-

(क) अर्जनकर्ता प्रस्ताव (ऑफर) का प्रबंधक नियुक्त करे (करें) और उससे परामर्श करने के बाद निकास पर दी जाने वाली कीमत (एग्जिट प्राइस) तय करे (करें);

(ख) निकास (एग्जिट) पर सार्वजनिक शेयरधारकों को जो कीमत देने की बात की जाए, वह कीमत अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ड) के अनुसार तय की गई निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) से कम न हो;

(ग) अर्जनकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को अलग-अलग से लिखित रूप में इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने की अपनी मंशा जाहिर करे, और साथ ही निकास पर दी जाने वाली कीमत (एग्जिट प्राइस) [उसके औचित्य सहित] बताए और असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में उनकी सहमति मांगे;

(घ) जिन सार्वजनिक शेयरधारकों, फिर भले ही उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, के पास सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) के नब्बे प्रतिशत या उससे ज्यादा शेयर हों, वे असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में लिखित रूप में अपनी सहमति दें, और साथ ही इसकी भी सहमति दें कि वे या तो अर्जनकर्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत पर अपने इक्विटी शेयर बेचने को तैयार हैं या फिर इक्विटी शेयरों को अपने पास ही रखना चाहते हैं भले ही वे असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो जाएँ;

(ड) अर्जनकर्ता, खंड (ग) के तहत पहली बार दी गई सूचना की तारीख से पचहत्तर कार्य-दिवसों के भीतर, सहमति मंगाने की प्रक्रिया पूरी करे और इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे;

(च) अर्जनकर्ता खंड (ड) में उल्लिखित पचहत्तर कार्य-दिवसों का समय पूरा होने की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर प्रतिफल (कन्सिडरेशन) का नकद भुगतान करे।

(3) उप-विनियम (2) के खंड (ग) के तहत सार्वजनिक शेयरधारकों को दी गई सूचना में प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) का औचित्य भी बताया जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा कि यह कीमत इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अनुसार किन मानदंडों के आधार पर तय की गई है, और साथ ही इस बात का भी खास उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति देने में इस बात की भी सहमति शामिल है कि निकास पर दी जाने वाली कीमत (एग्जिट प्राइस) रिवर्स बुक बिलिडिंग की प्रक्रिया के जरिए निर्धारित नहीं की जाएगी।

(4) यदि उप-विनियम (2) के अनुसार अदा की जाने वाली कीमत उसमें बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को अदा न की जाए, तो ऐसे में अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना होगा जिनकी बोलियाँ असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के तहत स्वीकार कर ली गई हों:

परंतु यह कि यदि इस प्रकार कीमत अदा करने में हुई देरी अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा कुछ किए जाने या कुछ न किए जाने की वजह से न हुई हो अथवा ऐसी परिस्थितियों की वजह से हुई हो जो अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के नियंत्रण के बाहर हों, तो ऐसे में बोर्ड इस प्रकार ब्याज अदा करने से छूट प्रदान कर सकेगा।

(5) संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, इस विनियम के पालन से संतुष्ट हो जाने के बाद, ऐसे इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर सकेगा।

भाग - ख

इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाए जाने के बाद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) हुई कंपनियों के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना

36. (1) इन विनियमों के प्रावधान, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए जाने के बाद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति, उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अध्यक्षीन, यथा-आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(2) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाए जाने के बाद जिस कंपनी के इक्विटी शेयर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए गए हों और उनमें वहाँ ट्रेडिंग हो रही हो, वह इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो सकेगी, यदि -

(क) ऐसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी जाए;

(ख) ऐसी असूचीबद्धता को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) या ई-वोटिंग के जरिए विशेष संकल्प पारित करके मंजूरी प्रदान कर दी जाए, हालांकि ऐसे संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के संबंध में शेयरधारकों को भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में समस्त महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट (डिस्कलोज़) कर दिए गए हों;

परंतु यह कि विशेष संकल्प पर तभी कार्रवाई की जाएगी, जब अधिकांश सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा निकास (एग्ज़िट) के ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में मत डाले गए हों;

(ग) असूचीबद्धता पर दी जाने वाली कीमत (डीलिस्टिंग प्राइस) निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) [जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के विनियम 8 (जैसा भी लागू हो) के अनुसार तय की गई हो] के आधार पर और असूचीबद्धता हेतु अतिरिक्त प्रीमियम [जिसका औचित्य अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा दिया जाए] के आधार पर निकाली जाए;

(घ) प्रस्ताव (ऑफर) के बाद अर्जनकर्ता तथा उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के शेयरों की संख्या सौंपे गए (टेंडर किए गए) शेयरों को मिलाकर, उस वर्ग के कुल निर्गमित (जारी / इश्यू किए गए) शेयरों के पचहत्तर प्रतिशत तक पहुँच जाए, और उप-विनियम (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित बोर्ड की बैठक की तारीख तक जितने सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) हों उनके कम से कम पचास प्रतिशत शेयर सौंपे जा चुके हों और जिन्हें स्वीकार कर लिया गया हो; और

(ङ) वह (वे) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) को मंजूरी प्रदान कर दे (दें), जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

भाग-ग

इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के जरिए असूचीबद्ध (डीलिस्ट) होने वाली समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के लिए विशेष प्रावधान, जहाँ सूचीबद्ध नियंत्री (होल्लिंग) कंपनी और समनुषंगी कंपनी दोनों के कारबार एक ही तरह के हों

इंतजाम की स्कीम के अनुसरण में समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना

37. (1) इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात ऐसी किसी समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने के प्रति लागू नहीं होगी, जिसके इक्विटी शेयर न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्यूनल) के आदेश के अनुसार उसकी सूचीबद्ध नियंत्री (होल्लिंग) कंपनी के साथ इंतजाम की स्कीम के अनुसरण में असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जा रहे हों, और जिसके इक्विटी शेयरों में बार-बार ट्रेडिंग होती हो तथा जहाँ सूचीबद्ध नियंत्री (होल्लिंग) कंपनी और समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के कारबार एक ही तरह के हों।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) को अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि :-

(क) सूचीबद्ध नियंत्री (होल्लिंग) कंपनी असूचीबद्ध होने वाली समनुषंगी कंपनी के किन्हीं इक्विटी शेयरों के रद्द होने पर उनके बदले में अपने इक्विटी शेयर जारी (इश्यू) करे;

(ख) इस प्रकार असूचीबद्ध हो जाने पर, समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी सूचीबद्ध नियंत्री (होल्लिंग) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी बन जाए;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 11, विनियम 37 और विनियम 94 तथा उन विनियमों के तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) का पालन किया जाए;

(घ) दोनों ही सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों की ई-वोटिंग कराई जाए, और जिसमें सूचीबद्ध समनुषंगी (सब्सिडियरी) के सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की

संख्या प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या की कम से कम दुगुनी हो, और सूचीबद्ध नियंत्रि (होलिंडिंग) कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो;

- (ड) सूचीबद्ध नियंत्रि (होलिंडिंग) कंपनी और समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के शेयर कम से कम 3 वर्षों से सूचीबद्ध हों और ऐसा किए जाने के समय वे निलंबित न हों;
- (च) समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी पिछले तीन वर्षों से सूचीबद्ध नियंत्रि (होलिंडिंग) कंपनी की सूचीबद्ध समनुषंगी हो;
- (छ) बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध नियंत्रि (होलिंडिंग) कंपनी और सूचीबद्ध समनुषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी के खिलाफ पिछले 3 वर्षों में कोई आदेश पारित न किए गए हों;
- (ज) इंतजाम की स्कीम को मंजूरी प्रदान करने वाले न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्यूनल) के आदेश की तारीख से 3 वर्षों की अवधि तक सूचीबद्ध नियंत्रि (होलिंडिंग) कंपनी द्वारा कोई और पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग) न की जाए;
- (झ) इस प्रकार असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हुई सूचीबद्ध समनुषंगी (लिस्टिड सब्सिडियरी) के इक्विटी शेयरों को, असूचीबद्ध (डीलिस्ट) होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक फिर से सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की मंजूरी न दी जाए, हालांकि इस प्रकार उन्हें इन विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (3) और उप-विनियम (4) के अनुसार ही फिर से सूचीबद्ध कराया जा सकेगा; और,
- (ञ) सूचीबद्ध समनुषंगी (लिस्टिड सब्सिडियरी) के एक शेयर का मूल्य साठ दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) से कम न हो।

स्पष्टीकरण — मात्रा भारित औसत कीमत (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) की गणना करने हेतु संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) वह तारीख होगी, जिस तारीख को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को बोर्ड की उस बैठक की सूचना देना जरूरी था जिस समनुषंगी (सब्सिडियरी) की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उसे मंजूरी दी गई थी।

भाग-घ

किसी कानूनी कार्रवाई के मद्देनज़र की जाने वाली असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए विशेष प्रावधान

कंपनी का परिसमापन (की वाइंडिंग अप) हो जाने और स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता वापस लिए जाने पर असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)

38. (1) यदि किसी ऐसी कंपनी के परिसमापन (की वाइंडिंग-अप) की प्रक्रिया चल रही हो जिसके इक्विटी शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, तो ऐसे में ऐसी कंपनी के शेयरधारकों के अधिकार, यदि कोई हों, उन कार्यवाहियों के मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।

(2) जहाँ बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान दी गई मान्यता वापस ले ले या उसे मान्यता का नवीकरण प्रदान करने से इनकार कर दे, वहाँ बोर्ड, निवेशकों के हित में, उस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के इक्विटी शेयरों की स्थिति के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

अध्याय - VII

विविध

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इन विनियमों के प्रावधानों के पालन पर नज़र रखना

39. संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा (करेंगे), इन विनियमों के प्रावधानों के पालन पर नज़र रखेगा (रखेंगे) और यदि उसे (उन्हें) यह पता चले कि कहीं पालन नहीं हुआ है, तो वह (वे) उसकी जानकारी बोर्ड को देगा (देंगे)।

असूचीबद्ध हो चुके इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना

40. (1) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के लिए कोई भी आवेदन,-

(क) किसी कंपनी के ऐसे इक्विटी शेयरों के लिए, उनकी असूचीबद्ध (डीलिस्ट) होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक, नहीं किया जाएगा, जिन्हें इन विनियमों के अध्याय-III के तहत या अध्याय-VI के तहत असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किया जा चुका हो;

(ख) किसी कंपनी के ऐसे इक्विटी शेयरों के लिए, उनके असूचीबद्ध (डीलिस्ट) होने की तारीख से दस वर्षों की अवधि तक नहीं किया जाएगा, जिन्हें इन विनियमों के अध्याय-V के तहत असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किया जा चुका हो।

(2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, असूचीबद्ध हो चुके इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए आवेदन ऐसी किसी कंपनी के संबंध में किया जा सकेगा:

(क) जिसके इक्विटी शेयर दिवाला संहिता (इनसॉल्वेन्सी कोड) की धारा 31 के तहत समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसरण में असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हुए हों;

(ख) जिसके इक्विटी शेयर आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाए जाने के बाद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए गए हों और उनमें वहाँ ट्रेडिंग हो रही हो, और जो इस प्लेटफॉर्म से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो रहे हों;

(ग) जिसके इक्विटी शेयर इन विनियमों के विनियम 35 के अनुसार असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हुए हों।

(3) किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों [जो पहले असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो चुके हों] की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते समय, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उन तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरा-पूरा गौर करेगा जिनके तहत ऐसे इक्विटी शेयर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो गए थे।

(4) असूचीबद्ध हो चुके इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के लिए किए गए आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि यह आवेदन ऐसे इक्विटी शेयरों को नए सिरे से सूचीबद्ध कराने के लिए किया गया है, और जिनके संबंध में वही कानूनी प्रावधान लागू होंगे जो असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों के इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के मामले में लागू होते हैं:

परंतु यह कि कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में इस बारे में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करेगी कि असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो जाने के बाद वह फिर से सूचीबद्ध (लिस्ट) क्यों होना चाहती है।

अध्याय - VIII

स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति

41. इन विनियमों के प्रावधानों के लागू होने या उनकी व्याख्या के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड समय-समय पर स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी कर सकेगा।

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

42. (1) बोर्ड, निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास के लिए, इन विनियमों की किसी अपेक्षा के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि -

क) वह अपेक्षा प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षा जैसी है; या

ख) प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी कोई अपेक्षा किसी अमुक वर्ग के उद्योग (इंडस्ट्री) या कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है; या

ग) पालन ऐसे कारणों से नहीं हो पाया, जो अर्जनकर्ता के नियंत्रण से परे थे।

(2) उप-विनियम (1) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, अर्जनकर्ता या कंपनी बोर्ड के पास एक आवेदन दाखिल करेगी, जिसके साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित शपथ-पत्र (एफिडेविट) लगाया जाएगा, जिसमें इस प्रकार मांगी गई छूट के व्यौरों का उल्लेख होगा और उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर छूट मांगी गई है।

(3) यथास्थिति, अर्जनकर्ता या कंपनी, उप-विनियम (2) में यथा-उल्लिखित आवेदन के साथ, एक लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (जिसमें पेमेंट गेटवे भी शामिल है) से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत ऐसे किसी अन्य माध्यम से सीधे जमा करेगा।

(4) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किन्तु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों

(प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से भी छूट प्रदान कर सकेगा।

(5) उप-विनियम (5) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण — इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” का अर्थ एक ऐसे लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट से है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयवधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

बोर्ड द्वारा निदेश

43. अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42] के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इन विनियमों के किसी उल्लंघन के मामले में और निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

निरसन और व्यावृत्ति

44. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता), 2009 इन विनियमों के प्रवृत्त (लागू) होने की तारीख से निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसा निरसन हो जाने पर भी,—

(क) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित विनियमों के तहत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई [जिसमें शामिल हैं — मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी, बोर्ड द्वारा प्रदान की गई छूट आदि, एकत्र की गई फीस, शुरू किया गया कोई न्यायनिर्णयन (अड्जुडिकेशन), शुरू की गई कोई जाँच या शुरू की गई कोई तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) या जारी की गई कारण बताओ सूचना (शो काज़ नोटिस)] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है;

(ख) निरसित विनियमों के पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके तहत विधिवत रूप से की गई कोई भी बात आदि, निरसित विनियमों के तहत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, निरसित विनियमों के अनुसार किए गए किसी उल्लंघन या अपराध के संबंध में लगाई गई कोई शास्ति (पेनल्टी), की गई कोई जब्ती या दिया गया कोई दंड, अथवा उपरोक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दंड की बाबत कोई तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन), कार्यवाही या उपचार, अप्रभावित रहेंगे, मानो कि निरसित विनियम कभी निरसित ही न हुए हों;

(ग) खंड (क) में दी हुई कोई भी बात असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के ऐसे किसी प्रस्ताव के प्रति लागू नहीं होगी जिसके संबंध में निरसित विनियमों के तहत सार्वजनिक घोषणा की जा चुकी हो, और असूचीबद्धता के ऐसे प्रस्ताव की प्रक्रिया निरसित विनियमों के तहत ही जारी रहेगी और पूरी की जाएगी।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 के निरसन के पश्चात्, बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य विनियमों, जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) या किन्हीं परिपत्रों (सर्कुलर्स) में उनके किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों का एक संदर्भ है।

अनुसूची-I

[विनियम 15(2) देखें]

विस्तृत सार्वजनिक घोषणा में दी जाने वाली जानकारी आदि

1. निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) तथा प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस), और यह भी कि वे कैसे तय की गईं।
2. अर्जनकर्ता द्वारा बताई गई सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस), यदि कोई हो।

3. बोली की अवधि शुरू होने की तारीख और समाप्त होने की तारीख ।
4. उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहाँ से इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करना चाहते हैं ।
5. असूचीबद्धता का प्रस्ताव (ऑफर) किस प्रकार शेयरधारकों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ।
6. प्रस्ताव (ऑफर) की सफलता के लिए न्यूनतम कितने इक्विटी शेयर स्वीकार करने जरूरी हैं ।
7. प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक और अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नाम, और साथ ही शेयरधारकों के लिए हेल्पलाइन नंबर ।
8. इन विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (3) के अनुसार तय की गई निर्धारित तारीख।
9. प्रस्तावित असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का उद्देश्य ।
10. असूचीबद्धता के प्रस्ताव के खुलने से लेकर प्रतिफल (कन्सिडरेशन) की रकम अदा किए जाने या इक्विटी शेयरों को लौटाए जाने तक की प्रस्तावित समय-सारणी ।
11. एस्करो अकाउंट के विवरण और यह भी कि उसमें कितनी रकम जमा है ।
12. सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के ब्यौरे और स्टॉक बाजार के आँकड़े, जैसे:
 - (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरों की सबसे अधिक बाजार कीमत कितनी रही, सबसे कम बाजार कीमत कितनी रही और औसत बाजार कीमत कितनी रही;
 - (ख) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से पहले के छह महीनों के दौरान हर महीने सबसे अधिक कीमत कितनी रही और सबसे कम कीमत कितनी रही; और,
 - (ग) विस्तृत सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से पहले के छह महीनों के दौरान हर महीने इक्विटी शेयरों में कितनी ट्रेडिंग हुई ।
13. कंपनी की वर्तमान पूंजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) और शेयरधारिता का स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) ।
14. असूचीबद्ध हो जाने के बाद कंपनी की संभावित शेयरधारिता का स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न)।
15. अर्जनकर्ता तथा उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के मिलाकर कुल शेयर, और जहाँ अर्जनकर्ता कंपनी है वहाँ अर्जनकर्ता के निदेशकों के कुल शेयर तथा उन व्यक्तियों के कुल शेयर जिनके हाथों में कंपनी का नियंत्रण है ।
16. यदि विस्तृत सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से ठीक पहले के पाँच वर्षों के दौरान लाए गए प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गमों (इश्यू) से आए पैसे का ज्यादा इस्तेमाल उन उद्देश्यों से न किया गया हो जिन उद्देश्यों से निर्गम लाए गए थे, तो इसके बारे में बताते हुए एक कथन, जिसके बारे में कंपनी का निदेशक मंडल यह प्रमाणित करे कि वह सही है ।
17. कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से एक कथन, जिसमें इस बात की पुष्टि की जाए कि वह समस्त महत्वपूर्ण जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट (डिस्कलोज़) कर दी गई है जो सतत सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के प्रावधानों के तहत प्रकट करनी जरूरी है ।
18. उन दस्तावेजों की सूची, जिनकी प्रतियाँ प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक के रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय में कार्य-दिवसों के दौरान सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध रहेंगी ।
19. कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से एक कथन, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि:-
 - (क) कंपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों का पालन कर रही है;
 - (ख) अर्जनकर्ता या उससे जुड़ी एंटीटियों ने असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसा कोई लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) नहीं किया है, जिससे इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो;
 - (ग) उनकी राय में असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) शेयरधारकों के हित में है ।
20. कंपनी के अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) का नाम ।

अनुसूची-II

विनियम 20(1) देखें

रिवर्स बुक बिलिंग की प्रक्रिया

1. रिवर्स बुक बिलिंग की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी जो पूरी तरह से पारदर्शी होगी, और अर्जनकर्ता इस उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज के साथ करार (एग्रीमेंट) करेगा।
2. विस्तृत सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) उस स्टॉक एक्सचेंज के पास बिना किसी देरी के दाखिल किए जाएंगे जिसका जिक्र खंड (1) में किया गया है, और ऐसा स्टॉक एक्सचेंज तुरंत उन्हें अपने वेबसाइट पर डालेगा।
3. बोली केन्द्रों की न्यूनतम संख्या इस प्रकार होगी:
 - (क) मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई चारों महानगरों में एक-एक केन्द्र;
 - (ख) जिस प्रदेश में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित है उस प्रदेश के उन शहरों में, जैसा उस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताया जाए जिसका जिक्र खंड (1) में किया गया है।
4. सभी बोली केन्द्रों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा हुआ कंप्यूटर टर्मिनल होगा।
5. शेयरधारक बोली लगाने की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले तक अपनी बोलियों को वापस ले सकेंगे या लगाई गई बोलियों को बढ़ा सकेंगे, किन्तु लगाई जा चुकी बोलियों को कम करने की अनुमति नहीं होगी।
6. अर्जनकर्ता बोली केन्द्रों में ट्रेडिंग मैम्बर्स (व्यापारिक सदस्यों) की नियुक्ति करेगा, जिनसे सार्वजनिक शेयरधारक ऑन-लाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बोलियाँ डालने के लिए संपर्क कर सकेंगे।
7. जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हों और जो निकास (एग्जिट) के अवसर का लाभ उठाना चाहते हों, वे प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक द्वारा खोले गए विशेष निक्षेपागार खाते (स्पेशल डिपॉजिटरीज़ अकाउंट) के पक्ष में धारणाधिकार (लियन) सृजित (मार्क) करके अपनी बोली डाल सकेंगे।
8. प्रस्ताव का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त विशेष निक्षेपागार खाते (स्पेशल डिपॉजिटरीज़ अकाउंट) में पड़े इक्विटी शेयर अर्जनकर्ता के खाते में तब तक अंतरित (ट्रांसफर) न किए जाएँ, जब तक कि उनके संबंध में लगाई गई बोलियाँ स्वीकार न कर ली जाएँ और भुगतान न कर दिए जाएँ।
9. जिन धारकों के पास इक्विटी शेयर कागज़ी रूप में हों, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बोली लगाने संबंधी फॉर्म (बिलिंग फॉर्म) के साथ-साथ शेयर प्रमाणपत्र और अंतरण विलेख (ट्रांसफर डीड) इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) को बोली लगाने की अवधि की अंतिम तारीख से पहले ही मिल जाएँ। शेयर अंतरण अभिकर्ता वे प्रमाणपत्र (जो सही पाए जाएँ) प्रस्ताव (ऑफर) के प्रबंधक को सौंप देगा, जो इन्हें अर्जनकर्ता के हवाले तब तक नहीं करेगा जब तक कि उनके संबंध में लगाई गई बोलियाँ स्वीकार न कर ली जाएँ और भुगतान न कर दिया जाए। उन प्रमाणपत्रों के संबंध में लगाई गई बोलियों को सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जो सही न पाए जाएँ।
10. इन विनियमों के विनियम 17 के तहत सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कागज़ी प्रमाणपत्रों का सत्यापन उसी दिन पूरा कर लिया जाएगा, जिस दिन वे शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) को मिलें।
11. सिस्टम में डाली गई बोलियों के पूरे ब्यौरे (ऑडिट ट्रेल) उपलब्ध रहेंगे, जैसे स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) की पहचान के ब्यौरे, टाइम स्टैम्प और यूनिक ऑर्डर नंबर।
12. खंड (1) से खंड (11) बुक बिलिंग (बही-निर्माण) की उस प्रक्रिया के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहाँ निपटान (सेटलमेंट) स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था [जैसा इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) में जिक्र किया गया है] के जरिए किया जाए।
13. निर्धारित कीमत उस कीमत के रूप में तय की जाएगी जिस कीमत पर शेयर पात्र बोलियों के माध्यम से स्वीकार किए जाएँ, जिससे अर्जनकर्ता के शेयर (सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के मिलाकर) उस वर्ग के कुल निर्गमित (जारी / इश्यू) किए गए शेयरों के नब्बे प्रतिशत तक पहुँच जाएँ, किन्तु इसमें:
 - (i) अभिरक्षक (अभिरक्षकों) [कस्टोडियन] के पास पड़े वे शेयर शामिल नहीं होंगे, जिनकी एवज में किसी दूसरे देश (किन्हीं दूसरे देशों) में निक्षेपागार रसीदें (डिपॉजिटरी रिसीट्स) जारी की गई हों;

- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 [सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स) रेग्यूलेशन, 2014] के तहत कर्मचारी फायदा स्कीम (एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम) लागू कराने के लिए बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) के पास पड़े शेयर शामिल नहीं होंगे;
- (iii) जो शेयरधारक सक्रिय न हों (जैसे कि गायब कंपनियाँ और वे कंपनियाँ जिनके नाम रजिस्टर से काटे जा चुके हों) उनके पास पड़े शेयर, निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि के खाते में अंतरित (ट्रांसफर) किए गए शेयर तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2015] की अनुसूची-VI के साथ पठित विनियम 39 के उप-विनियम (4) के अनुसार पड़े शेयर शामिल नहीं होंगे।

14. निर्धारित कीमत तय करने का एक उदाहरण नीचे सारणी में दिया गया है:

| बोली की कीमत (₹) | निवेशकों की संख्या | मांग (शेयरों की संख्या) | संचयी मांग (शेयरों की संख्या) |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 550 | 5 | 2,50,000 | 2,50,000 |
| 565 | 8 | 4,00,000 | 6,50,000 |
| 575 | 10 | 2,00,000 | 8,50,000 |
| 585 | 4 | 4,00,000 | 12,50,000 |
| 595 | 6 | 1,20,000 | 13,70,000 |
| 600 | 5 | 1,30,000 | 15,00,000 |
| 605 | 3 | 2,10,000 | 17,10,000 |
| 610 | 3 | 1,40,000 | 18,50,000 |
| 615 | 3 | 1,50,000 | 20,00,000 |
| 620 | 1 | 5,00,000 | 25,00,000 |
| कुल | 48 | 25,00,000 | लागू नहीं |

अंतिम प्रस्ताव कीमत

यह मानते हुए कि निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) ₹550/- प्रति शेयर है, अर्जनकर्ता के पास 75% शेयर हैं और असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की सफलता के लिए 15,00,000 शेयर चाहिए, तो ऐसे में निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस कीमत पर अर्जनकर्ता 90% की सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड) तक पहुंच जाए, अर्थात् यह ₹600/- प्रति शेयर होगी।

अनुसूची-III

विनियम 32(4) देखें

अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए दिशानिर्देश

- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के इक्विटी शेयरों को अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करते समय प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42] के तहत बनाए गए नियमों में बताए गए आधारों पर विचार करेगा।
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, विनियम 33 के उप-विनियम (4) का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उस कंपनी के संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) का पता लगाने के लिए समस्त उपयुक्त कदम उठाएगा, जिसके इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जाने का प्रस्ताव हो।

3. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इस पर विचार करेगा कि कंपनी द्वारा कथित तौर पर किस प्रकार का और कितना उल्लंघन किया गया है, और वह यह भी देखेगा कि इस प्रकार किए गए उल्लंघन की वजह से कितने सार्वजनिक शेयरधारक तथा कितने प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारक प्रभावित हुए।
4. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से यह पुष्टि करने का पूरा-पूरा प्रयास करेगा कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का कितना पालन किया गया है।
5. जिन कंपनियों के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है उन कंपनियों के नाम और उनके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) के नाम मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर एक अलग खंड में डाले जाएंगे। असूचीबद्ध हो जाने के बाद, उनके नाम हटाकर वेबसाइट पर पहले वाले खंड से हटाकर दूसरे अलग खंड में डाल दिए जाएंगे।
6. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, उपयुक्त मामलों में, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42] के या उस समय लागू किसी अन्य कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कंपनी के संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) [जिनकी पहचान की जा सकती हो] और निदेशकों के खिलाफ कथित तौर पर किए गए उल्लंघन के मामलों में मुकदमे दाखिल करेगा।
7. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, उपयुक्त मामलों में, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के लागू प्रावधानों के तहत, कंपनी के परिसमापन (की वाइंडिंग-अप) के लिए याचिका (अर्जी) दाखिल करेगा या कंपनी रजिस्ट्रार से यह निवेदन करेगा कि कंपनी का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जाए।

अनुसूची-IV

विनियम 22(4) देखें

काउंटर ऑफर के लिए समय-सीमाएँ

| क्र. सं. | विवरण | समय-सीमाएँ |
|----------|---|--|
| 1. | अर्जनकर्ता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था के माध्यम से काउंटर ऑफर की सार्वजनिक घोषणा | रिवर्स बुक बिलिंडिंग की बोली की प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर |
| 2. | काउंटर ऑफर की सार्वजनिक घोषणा का उन्हीं समाचारपत्रों में प्रकाशन, जिनमें विस्तृत सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी | रिवर्स बुक बिलिंडिंग की बोली की प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख से चार कार्य-दिवसों के भीतर |
| 3. | रिवर्स बुक बिलिंडिंग की प्रक्रिया के दौरान सौंपे गए (टेंडर किए गए) शेयरों को वापस लेने का विकल्प | काउंटर ऑफर की सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से दस कार्य-दिवसों के भीतर |
| 4. | काउंटर ऑफर के लिए प्रस्ताव-पत्र भिजवाना | रिवर्स बुक बिलिंडिंग की बोली की प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख से चार कार्य-दिवसों के भीतर |
| 5. | काउंटर ऑफर की बोली की प्रक्रिया शुरू करना | सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर |
| 6. | काउंटर ऑफर की बोली की प्रक्रिया समाप्त करना | काउंटर ऑफर की बोली की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर |
| 7. | काउंटर ऑफर की सफलता / विफलता के बारे में सार्वजनिक घोषणा उसी समाचारपत्र में जारी करना, जिसमें विनियम 15 के उप-विनियम (1) के तहत विस्तृत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी | काउंटर ऑफर की बोली की प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर |
| 8. | प्रतिफल (कन्सिडरेशन) की रकम अदा करना | यथास्थिति, काउंटर ऑफर के बंद होने की तारीख से दस कार्य-दिवसों के भीतर या द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) में अपनाई जाने वाली निपटान |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | (सेटलमेंट) की व्यवस्था के जरिए |
| 9 | इक्विटी शेयरों को लौटाना | काउंटर ऑफर की सफलता या विफलता के बारे में सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख को |

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./88/2021-22]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th June, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021-25.—In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 30, sub-section (1) of section 11 and sub-section (2) of section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

- (1) These regulations shall be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meaning assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly,-
 - “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - “acquirer” includes a person -
 - who decides to make an offer for delisting of equity shares of the company along with the persons acting in concert in accordance with regulation 5A of the Takeover Regulations as amended from time to time ; or
 - who is the promoter or part of the promoter group along with the persons acting in concert.
 - “Board” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;
 - “bidding period” means the period within which shareholders may tender their shares in acceptance of the offer for delisting of equity shares of the company made under these regulations;
 - “control” shall have the same meaning as assigned to it under the Takeover Regulations as amended from time to time;
 - “company” means a company within the meaning of sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and includes a body corporate or corporation established under any enactment for the time being in force, whose equity shares are listed on a recognised stock exchange;
 - “compulsory delisting” means delisting of equity shares of a company by a recognised stock exchange under Chapter V of these regulations;
 - “Company Secretary in practice” means a Company Secretary as defined in section 2(c) of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) who is deemed to be in practice under sub-section (2) of section 2 of the said Act;
 - “detailed public announcement” means the announcement made by the acquirer in terms of regulation 15 read with Schedule I of these regulations;

- j) “delisting” means permanent removal of equity shares of the company from the trading platform of a recognised stock exchange, either by way of voluntary or compulsory method;
- k) “delisting period” means the period between the date of initial public announcement and the date of payment of consideration to the shareholders, whose shares have been accepted in the reverse book building process or the date on which shares have been returned upon failure of the delisting offer, as the case may be;
- l) "discovered price" means the price discovered through reverse book building process in terms of Schedule II of these Regulations;
- m) "floor price" means the minimum price offered by the acquirer, computed in accordance with regulation 8 of the Takeover Regulations as amended from time to time, while making the proposal for voluntarily delisting of the equity shares of the company;
- n) “frequently traded shares” shall have the same meaning as assigned to it under the Takeover Regulations as amended from time to time;
- o) "indicative price" means the price offered by the acquirer, which is higher than the floor price, while making the proposal to voluntarily delist the equity shares of the company;
- p) “innovators growth platform” shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended from time to time;
- q) “initial public announcement” means the first announcement, including subsequent modifications thereto, if any, made by the acquirer to express its intention to voluntarily delist the equity shares of the company from all the recognised stock exchanges.
- r) “Insolvency Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
- s) "Peer Review Company Secretary" means a Company Secretary in practice, who is either practicing individually or as a sole proprietor or as a partner of a Peer Reviewed Practice Unit , holding a valid certificate of peer review issued by the Institute of Company Secretaries of India;
- t) “public shareholding” shall have the same meaning as assigned to it under rule 2(e) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 as amended from time to time and “public shareholders” shall be construed accordingly;
- u) “persons acting in concert” shall have the same meaning as assigned to it under the Takeover Regulations as amended from time to time;
- v) “promoter” shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended from time to time;
- w) “promoter group” shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended from time to time;
- x) “recognised stock exchange” means any stock exchange that has been granted recognition under section 4 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) as amended from time to time;
- y) “Schedule” means a Schedule appended to these regulations;
- z) "securities laws" mean the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the relevant provisions of any other law to the extent it is administered by the Board and the relevant rules and regulations made thereunder;
- aa) “Takeover Regulations” mean the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- bb) “voluntary delisting” means the delisting of equity shares of a company voluntarily on an application made by it under Chapter III of these regulations;
- cc) “valuer” shall have the same meaning as assigned to it under section 247 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time;
- dd) “volume weighted average price” shall have the same meaning as assigned to it under the Takeover Regulations as amended from time to time;
- ee) “working days” means the working days of the Board.

(2) All other words and expressions used but not defined in these regulations, but defined in the Act or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22

of 1996) and/or the rules and regulations made thereunder, shall have the same meaning as respectively assigned to them in such Acts or rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II DELISTING OF EQUITY SHARES

Scope and applicability

3. (1) These regulations shall apply to delisting of equity shares of a company including equity shares having superior voting rights from all or any of the recognised stock exchanges where such shares are listed.

(2) Nothing contained in these regulations shall apply to the delisting of equity shares of a listed company—

- (a) that have been listed and traded on the innovators growth platform of a recognised stock exchange without making a public issue;
- (b) made pursuant to a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code, if such plan provides for:
 - (i) delisting of such shares; or
 - (ii) an exit opportunity to the existing public shareholders at a specified price:

Provided that the existing public shareholders shall be provided the exit opportunity at a price which shall not be less than the price, by whatever name called, at which a promoter or any entity belonging to the promoter group or any other shareholder, directly or indirectly, is provided an exit opportunity:

Provided further that the details of delisting of such shares along with the justification for the exit price in respect of the proposed delisting shall be disclosed to the recognized stock exchange(s) where the shares are listed within one day of approval of the resolution plan under section 31 of the Insolvency Code.

Conditions for delisting

4. (1) Neither any company shall apply for nor any recognised stock exchange shall permit delisting of equity shares of a company:-

- (a) unless a period of three years has elapsed since the listing of that class of equity shares on any recognised stock exchange;
- (b) if any instrument issued by the company, which is convertible into the same class of equity share(s) that is sought to be delisted, is outstanding;
- (c) pursuant to a buyback of equity shares by the company, including a buyback pursuant to consolidation or division of all or part of the equity share capital of the company, unless a period of six months has elapsed from the date of completion of such buyback;
- (d) pursuant to a preferential allotment made by the company unless a period of six months has elapsed from the date of such allotment:

Provided that nothing contained under clause (d) of sub-regulation (1) shall be applicable to the delisting of equity shares made by a new acquirer(s) who has made an offer under regulation 5A of the Takeover Regulations or a new promoter(s) pursuant to re-classification in terms of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

(2) No acquirer shall propose delisting of equity shares of a company, if the acquirer had sold the equity shares of the company during the period of six months prior to the date of the initial public announcement made in terms of sub-regulation (1) of regulation 8 of these regulations.

(3) Nothing contained in clauses (a) and (b) of sub-regulation (1) shall apply to a delisting of equity shares falling under regulation 5 of these regulations.

(4) No acquirer shall, directly or indirectly, employ the funds of the company to finance an exit opportunity provided under Chapter IV of these regulations or an acquisition of shares made pursuant to sub-regulation (4) of regulation 33 of these regulations.

(5) No acquirer shall, directly or indirectly,—

- (a) employ any device, scheme or artifice to defraud any shareholder or other person; or
- (b) engage in any transaction or practice that operates as a fraud or deceit upon any shareholder or other person; or
- (c) engage in any act or practice that is fraudulent, deceptive or manipulative —

in connection with any delisting of equity shares sought or permitted or exit opportunity given or other acquisition of equity shares made under these regulations.

CHAPTER III VOLUNTARY DELISTING

PART – A

Conditions and procedure for delisting where exit opportunity is not required

Delisting from some of the recognised stock exchanges

5. A company may delist its equity shares from one or more of the recognised stock exchanges on which it is listed without providing an exit opportunity to the public shareholders, if after the proposed delisting, the equity shares remain listed on any recognised stock exchange that has nationwide trading terminals.

Procedure for delisting where no exit opportunity is required

6. (1) Any company desirous of delisting its equity shares under the provisions of regulation 5 of these regulations shall -

- (a) obtain the prior approval of its Board of Directors;
- (b) make an application to the relevant recognised stock exchange(s) for delisting its equity shares;
- (c) issue a public notice of the proposed delisting from the relevant stock exchange(s) in at least one English national newspaper with wide circulation, one Hindi national newspaper with wide circulation in their all India editions and one vernacular newspaper of the region where the relevant stock exchange(s) is located;
- (d) disclose the fact of delisting in its first annual report post delisting.

(2) The public notice issued under clause (c) of sub-regulation (1) shall mention the name(s) of the recognised stock exchange(s) from which the equity shares of the company are intended to be delisted, the reasons for such delisting and the fact of continuation of listing of equity shares on the recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals.

(3) An application for delisting made under clause (b) of sub-regulation (1) shall be disposed of by the recognised stock exchange(s) within a period not exceeding thirty working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects.

PART – B

Conditions and procedure for delisting where exit opportunity is required

Delisting from all the recognised stock exchanges

7. The equity shares of a company may be delisted from all the recognised stock exchanges having nationwide trading terminals on which they are listed, after an exit opportunity has been provided by the acquirer to all the public shareholders holding the equity shares sought to be delisted, in accordance with Chapter IV of these regulations and after following the procedure as mentioned in Part-B of this Chapter.

Initial public announcement

8. (1) On the date when the acquirer(s) decides to voluntarily delist the equity shares of the company, it shall make an initial public announcement to all the stock exchanges on which the shares of the company are listed and the stock exchanges shall forthwith disseminate the same to the public.

(2) A copy of the initial public announcement shall also be sent to the company at its registered office not later than one working day from the date of the initial public announcement.

(3) The initial public announcement shall contain such information as may be specified, including:—

- (a) the reasons for delisting;
- (b) an undertaking with respect to compliance with sub-regulations (2) and (5) of regulation 4 of these regulations.

(4) The initial public announcement shall not omit any relevant information or contain any misleading information.

Appointment of the Manager to the offer

9. (1) Prior to making an initial public announcement, the acquirer shall appoint a merchant banker registered with the Board as the Manager to the offer.

(2) The Manager to the offer appointed under sub-regulation (1) shall not be an associate of the acquirer.

(3) The initial public announcement and the subsequent activities as required under these regulations shall be undertaken by the acquirer through the Manager to the offer.

Approval by the Board of Directors

10. (1) The company shall obtain the approval of its Board of Directors in respect of the proposal of the acquirer to delist the equity shares of the company, not later than twenty one days from the date of the initial public announcement.

(2) The Board of Directors of the company, before considering the proposal of delisting, shall appoint a Peer Review Company Secretary and provide the following information to such Company Secretary for carrying out due-diligence:-

(a) the details of buying, selling and dealing in the equity shares of the company by the acquirer or its related entities during the period of two years prior to the date of board meeting held to consider the proposal for delisting, including the details of the top twenty five shareholders, for the said period;

(b) the details of off-market transactions of all the shareholders mentioned in clause (a) for a period of two years;

(c) any additional information, including the information mentioned in clauses (a) and (b) for a longer period of time, sought by the Company Secretary if the Company Secretary is of the opinion that the information provided under clauses (a) and (b) is not sufficient for providing the certification in terms of sub-regulation (3).

(3) After obtaining the information from the Board of Directors of the company under sub-regulation 2, the Company Secretary shall carry out the due-diligence and submit a report to the Board of Directors of the company certifying that the buying, selling and dealing in the equity shares of the company carried out by the acquirer or its related entities and the top twenty five shareholders is in compliance with the applicable provisions of securities laws including compliance with sub-regulation (5) of regulation 4 of these regulations.

(4) The Board of Directors of the company, while considering the proposal for delisting, shall certify that—

(a) the company is in compliance with the applicable provisions of securities laws;

(b) the acquirer and its related entities are in compliance with the applicable provisions of securities laws in terms of the report of the Company Secretary including compliance with sub-regulation (5) of regulation 4 of these regulations;

(c) the delisting, in their opinion, is in the interest of the shareholders of the company.

(5) While communicating the decision of the Board of Directors on the proposal for delisting of equity shares, the company shall also submit to the recognized stock exchanges on which the equity shares of the company are listed, the due - diligence report of the Company Secretary in terms of sub-regulation (3) and the audit report in terms of sub-regulation (2) of regulation 12 of these regulations.

(6) Upon receipt of the communication from the company under sub-regulation (5), the stock exchanges shall forthwith disseminate the same to the public.

Approval by shareholders

11. (1) The company shall obtain the approval of the shareholders through a special resolution, not later than forty five days from the date of obtaining the approval of Board of Directors.

(2) The special resolution shall be passed through postal ballot and / or e-voting as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules made thereunder.

(3) The company shall disclose all material facts in the explanatory statement sent to the shareholders in relation to such a resolution.

(4) The special resolution shall be acted upon only if the votes cast by the public shareholders in favour of the proposal are at least two times the number of votes cast by the public shareholders against it.

In-principle approval of the stock exchange

12. (1) The company shall make an application to the relevant recognised stock exchange for in-principle approval of the proposed delisting of its equity shares in the Form specified by the recognised stock exchange from time to time, not later than fifteen working days from the date of passing of the special resolution or receipt of any other statutory or regulatory approval, whichever is later.

(2) The application seeking in-principle approval for the delisting of equity shares shall be accompanied by an audit report as required under regulation 76 of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants)

Regulations, 2018 in respect of the equity shares sought to be delisted, covering a period of six months prior to the date of the application.

(3) Such application seeking in-principle approval for the delisting of the equity shares shall be disposed of by the recognised stock exchange within a period not exceeding fifteen working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects.

(4) The recognised stock exchange shall not unfairly withhold such an application, but may require the company to satisfy or inform it as regards -

- (a) compliance with regulations 10 and 11 of these regulations;
- (b) resolution of investor grievances by the company;
- (c) payment of listing fees due to the recognised stock exchange;
- (d) compliance with any provision of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, that has a material bearing on the interests of its equity shareholders;
- (e) any litigation or action pending against the company pertaining to its activities in the securities market or any other matter having a material bearing on the interests of its equity shareholders;
- (f) any other relevant matter as it may deem fit.

CHAPTER IV

EXIT OPPORTUNITY

Applicability of Chapter IV

13. The provisions of this Chapter shall apply to the proposal for delisting of equity shares of a company from all the recognised stock exchanges.

Escrow account

14. (1) The acquirer shall open an interest bearing escrow account with a Scheduled Commercial Bank, not later than seven working days from the date of obtaining the shareholders' approval, and deposit therein an amount equivalent to twenty five percent of the total consideration, calculated on the basis of the number of equity shares outstanding with the public shareholders multiplied with the floor price or the indicative price, if any given by the acquirer in terms of sub-regulation (4) of regulation 20 of these regulations, whichever is higher.

(2) The acquirer shall enter into a tripartite agreement with the Manager to the offer and the Bank for the purpose of opening the escrow account and shall authorize the Manager to the offer to operate such account as per the provisions of these regulations.

(3) Before making the detailed public announcement under regulation 15 of these regulations, the acquirer shall deposit in the escrow account, the remaining consideration amount being seventy five percent calculated on the basis of the number of equity shares outstanding with the public shareholders multiplied with the floor price or the indicative price, if any given by the acquirer in terms of sub-regulation (4) of regulation 20 of these regulations, whichever is higher.

(4) On determination of the discovered price and making of the public announcement under sub-regulation (4) of regulation 17 of these regulations accepting the discovered price, the acquirer shall forthwith deposit in the escrow account such additional sum as may be sufficient to make up the entire sum due and payable as consideration in respect of equity shares outstanding with the public shareholders.

(5) The escrow account shall consist of either the cash deposited with a Scheduled Commercial Bank or a bank guarantee in favour of the Manager to the offer or a combination of both.

(6) Where the escrow account consists of a deposit with a Scheduled Commercial Bank, the acquirer shall, while opening the account, authorize the Manager to the offer to make fund transfers through electronic mode or such other mode permitted by the Reserve Bank of India, and to instruct the bank to issue banker's cheques or demand drafts for the amount lying to the credit of the escrow account, for the purpose(s) mentioned in these regulations, and the amount in such account, if any, remaining after full payment of consideration for the equity shares tendered in the delisting offer and those tendered under sub-regulation (1) of regulation 26 of these regulations shall be released to the acquirer.

(7) Where the escrow account consists of a bank guarantee, such bank guarantee shall be valid till payments are made in respect of all shares tendered under sub-regulation (1) of regulation 26 of these regulations.

- (8) In case of failure of the delisting offer, ninety nine percent of the amount lying in the escrow account shall be released to the acquirer within one working day from the date of public announcement of such failure.
- (9) The remaining one percent amount lying in the escrow account shall be released post return of the shares to the public shareholders or confirmation of revocation of lien marked on their shares by the Manager to the offer as per the timelines provided in these regulations.

Detailed public announcement

- 15.** (1) The acquirer shall, within one working day from the date of receipt of in-principle approval for delisting of equity shares from the recognised stock exchange, make a detailed public announcement in at least one English national newspaper with wide circulation, one Hindi national newspaper with wide circulation in their all India editions and one vernacular newspaper of the region where the relevant recognised stock exchange is located.
- (2) The detailed public announcement shall contain all material information including the information specified in Schedule I of these regulations and shall not contain any false or misleading statement.
- (3) The detailed public announcement shall also specify a date, being a day not later than one working day from the date of the detailed public announcement, which shall be the 'specified date' for determining the names of the shareholders to whom the letter of offer shall be sent.
- (4) The detailed public announcement shall be dated and signed by the acquirer.

Explanation,— If the acquirer is a company, the detailed public announcement shall be dated and signed on behalf of the Board of Directors of the company by its Manager or Secretary, if any, and by not less than two directors of the company, one of whom shall be the managing director where there is one.

Letter of offer

- 16.** (1) The acquirer shall dispatch the letter of offer to the public shareholders not later than two working days from the date of the detailed public announcement made under regulation 15 of these regulations.
- (2) The letter of offer shall be sent to all public shareholders, holding equity shares of the class sought to be delisted, whose names appear on the register of the company or depository as on the date specified in the detailed public announcement.
- (3) A copy of the letter of offer shall also be made available on the websites of the company and the Manager to the offer for the benefit of the public shareholders.
- (4) The letter of offer shall contain all the disclosures made in the detailed public announcement and such other disclosures as may be necessary for the shareholders to take an informed decision.
- (5) The public shareholders shall have the right to inspect all the documents as referred in the letter of offer and the Manager to the offer shall facilitate the inspection.
- (6) The letter of offer shall be accompanied with a Form for the use of public shareholders for the purpose of either creating a lien or tendering the physical shares, as the case may be.
- (7) An eligible public shareholder may participate in the offer for the delisting of equity shares and make bids even without receiving the Form or letter of offer and such shareholder may tender shares in the manner specified by the Board in this regard.

Bidding mechanism

- 17.** (1) The bidding period shall start not later than seven working days from the date of the detailed public announcement and shall remain open for five working days.
- (2) The acquirer shall facilitate tendering of shares by the shareholders and settlement of the same, through the stock exchange mechanism as specified by the Board.
- (3) The Manager to the offer shall ensure that the outcome of the reverse book building process is announced within two hours of the closure of the bidding period.
- (4) Within two working days from the closure of the bidding period, the acquirer shall, through the Manager to the offer, make a public announcement in the same newspapers in which the detailed public announcement under sub-regulation (1) of regulation 15 of these regulations was made, disclosing the success or failure of the reverse book building process, along with the discovered price accepted by the acquirer in the event of success of the said process.

Manner of tendering shares

- 18.** The equity shares shall be tendered/offered by the public shareholders, including by way of marking a lien through the stock exchange mechanism, in the manner specified by the Board.

Right of shareholders to participate in the reverse book building process

19. (1) Public shareholders holding the equity shares of the company, which are sought to be delisted, shall be entitled to participate in the reverse book building process in the manner specified in Schedule II of these regulations.

(2) The Manager to the issue shall take necessary steps to ensure compliance with sub-regulation (1).

(3) Any holder of depository receipts issued on the basis of underlying equity shares and a custodian keeping custody of such equity shares shall not be entitled to participate in the reverse book building process:

Provided that any holder of depository receipts may participate in the reverse book building process under sub-regulation (1) after converting such depository receipts into equity shares of the company that are proposed to be delisted.

Discovered price

20. (1) After fixation of the floor price under sub-regulation (2), the discovered price shall be determined through the reverse book building process in the manner specified in Schedule II of these regulations, and the Manager to the offer shall disclose the same in the detailed public announcement and the letter of offer.

(2) The floor price shall be determined in terms of regulation 8 of Takeover Regulations as may be applicable.

(3) The reference date for computing the floor price would be the date on which the recognized stock exchange(s) was required to be notified of the board meeting in which the delisting proposal was considered and approved.

(4) The acquirer shall have the option to provide an indicative price in respect of the delisting offer, which shall be higher than the floor price calculated in terms of sub-regulation (2).

(5) The acquirer shall also have the option to revise the indicative price upwards before the start of the bidding period and the same shall be duly disclosed to the shareholders.

(6) The acquirer may, if it deems fit, pay a price higher than the discovered price determined in terms of sub-regulation (1).

Minimum number of equity shares to be acquired

21. An offer made under Chapter III of these regulations or a counter offer made by the acquirer in terms of sub-regulation (4) of regulation 22 of these regulations, as the case may be, shall be deemed to be successful if,-

(a) the post offer shareholding of the acquirer, along with the shares tendered / offered by public shareholders accepted as eligible bids at the discovered price or the counter offer price, as the case may be, reaches ninety percent of the total issued shares of that class excluding the following:

(iv) shares held by custodian(s) against which depository receipts have been issued overseas;

(v) shares held by a Trust set up for implementing an Employee Benefit scheme under the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(vi) shares held by inactive shareholders such as vanishing companies and struck off companies, shares transferred to the Investor Education and Protection Fund's account and shares held in terms of sub-regulation (4) of regulation 39 read with Schedule VI of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

Provided that such shareholders shall be certified by the Peer Review Company Secretary appointed by the Board of Directors of the company for due-diligence.

Explanation,— The cut-off date for determination of inactive shareholders shall be the date on which the in-principle approval of the Stock Exchange is received, which shall be adequately disclosed in the public announcement.

Option to accept or reject the discovered price or counter offer

22. (1) The acquirer shall be bound to accept the equity shares tendered or offered in the delisting offer, if the discovered price determined through the reverse book building process is equal to the floor price or the indicative price, if any, offered by the acquirer.

(2) The acquirer shall be bound to accept the equity shares, at the indicative price, if any offered by the acquirer, even if the price determined through the reverse book building process is higher than the floor price but less than the indicative price.

(3) Nothing contained in sub-regulation (1) and (2) shall apply, if the discovered price is higher than the indicative price.

(4) In case the discovered price is not acceptable to the acquirer, a counter offer may be made by the acquirer to the public shareholders within two working days of the closure of bidding period and thereafter, the acquirer shall ensure

compliance with the provisions of these regulations in accordance with the timelines provided in Schedule IV of these regulations.

(5) The counter offer price shall not be less than the book value of the company as certified by the Manager to the offer.

Explanation, — For the purpose of sub-regulation (5), the book value shall be computed on the basis of both consolidated and standalone financial statements of the company as per the latest quarterly financial results filed by the company on the recognized stock exchange(s) as on the date of public announcement for counter offer, and the higher of the values so computed shall be treated as the book value.

Failure of the offer

23. (1) The delisting offer shall be considered to have failed under the following circumstances:-

(a) the minimum number of shares are not tendered / offered as provided under clause (a) of regulation 21 of these regulations.

Explanation,— If a counter offer has been made by the acquirer in terms of sub-regulation (4) of regulation 22 of these regulations, the failure of the said counter offer shall be considered in accordance with clause (a); or

(b) the price discovered through the reverse book building process is rejected by the acquirer.

(2) In case of failure of the delisting offer,

(a) the equity shares tendered / offered in terms of Schedule II or Schedule IV of these regulations as the case may be, shall be released-

(i) on the date of disclosure of the outcome of the reverse book building process under sub-regulation (3) of regulation 17 of these regulations if the minimum number of shares as provided under clause (a) of regulation 21 of these regulations are not tendered / offered;

(ii) on the date of making public announcement for the failure of the delisting offer under sub-regulation (4) of regulation 17 of these regulations if the price discovered through the reverse book building process is rejected by the acquirer;

(iii) in accordance with Schedule IV of these regulations if a counter offer has been made by the acquirer:

Provided that the acquirer shall not be required to return the shares if the offer is made pursuant to regulation 5A of Takeover Regulations.

(b) the expenses relating to the offer for delisting shall be borne by the acquirer.

(c) the acquirer, whose delisting offer has failed, shall not make another delisting offer until the expiry of six months-

(i) from the date of disclosure of the outcome of the reverse book building process under sub-regulation (3) of regulation 17 of these regulations if the minimum number of shares as provided under clause (a) of regulation 21 of these regulations are not tendered / offered;

(ii) from the date of making public announcement for the failure of the delisting offer under sub-regulation (4) of regulation 17 of these regulations if the price discovered through the reverse book building process is rejected by the acquirer;

(iii) from the date of making public announcement for the failure of counter offer as provided under Schedule IV of these regulations.

(3) Nothing contained in clause (c) of sub-regulation (2) shall be applicable to the delisting of equity shares made by a new promoter(s) pursuant to the re-classification in terms of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 or a new acquirer(s) who has made an offer under regulation 5A of Takeover Regulations.

Payment upon success of the offer

24. (1) All the public shareholders, whose bids are accepted, shall be paid the discovered price or a higher price, if any, offered by the acquirer in terms of sub-regulation (6) of regulation 20 of these regulations, as stated in the public announcement in the following manner -

(i) In case the discovered price is equal to the floor price or the indicative price as provided under regulation 20, or in case the acquirer is bound to accept the equity shares in the delisting offer in terms of sub-regulation (2) of regulation 22 of these regulations, the payment shall be made through the secondary market settlement mechanism;

(ii) In case the discovered price or the price, if any, offered by the acquirer in terms of sub-regulation (6) of regulation 20 of these regulations, is higher than the floor price or the indicative price, as the case may be, the payment shall be made within five working days from the date of the public announcement under sub-regulation (4) of regulation 17 of these regulations.

(2) The acquirer shall be liable to pay interest at the rate of ten percent per annum to all the shareholders, whose bids have been accepted in the delisting offer, if the price payable in terms of sub-regulation (1) is not paid to all the shareholders within the time specified thereunder:

Provided that in case the delay was not attributable to any act or omission of the acquirer or was caused due to the circumstances beyond the control of the acquirer, the Board may grant waiver from the payment of such interest.

Final application to the stock exchange after successful delisting

25. (1) Within five working days from the date of making the payment to the public shareholders in terms of regulation 24 of these regulations, the acquirer shall make the final application for delisting to the relevant recognised stock exchange(s) in the Form specified by such stock exchange(s) from time to time.

(2) The final application for delisting shall be accompanied with necessary details / information, as the recognised stock exchange(s) may require, of having provided the exit opportunity in accordance with the provisions of this Chapter.

(3) The final application for delisting shall be disposed of by the recognised stock exchange(s) within fifteen working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects.

(4) Upon disposal of the final application for delisting by the stock exchange(s) in terms of sub-regulation (3), the equity shares of the company shall be permanently delisted from the stock exchange(s).

Right of the remaining public shareholders to tender equity shares

26. (1) The remaining public shareholders, whose shares were either not accepted or were not tendered at all during the bidding period, shall have a right to tender their equity shares for a minimum period of one year from the date of delisting.

(2) The acquirer shall be under an obligation during such period to accept the shares of the remaining public shareholders under sub-regulation (1), at the same price at which the equity shares had been delisted.

(3) The payment of consideration for equity shares accepted under sub-regulation (2) shall be made out of the balance amount lying in the escrow account.

(4) The Manager to the offer shall ensure that the amount lying in the escrow account or the bank guarantee shall not be released to the acquirer for a minimum period of one year or till the time payment has been made to the remaining public shareholders, whichever is earlier.

Measures to protect the rights of remaining public shareholders

27. (1) The Manager to the offer, in coordination with the acquirer shall ensure that the rights of the remaining public shareholders are protected and in furtherance of the same shall:

(a) publish, on a quarterly basis, an advertisement in the same newspapers in which the detailed public announcement of the offer for delisting of equity shares was published, inviting the remaining public shareholders to avail the exit opportunity during the one year exit window after delisting of shares;

(b) send follow up communications to the remaining public shareholders on a quarterly basis; and

(c) file a quarterly progress report to the stock exchange(s), which shall be disseminated to the public thereafter by the stock exchange(s), disclosing the following:

(i) number of remaining public shareholders at the beginning and end of the quarter; and

(ii) details of public shareholders who availed the exit opportunity during the quarter.

(2) The stock exchange(s) shall monitor the compliance of sub-regulation (1).

Obligations of the company

28. (1) Upon receipt of the detailed public announcement, the Board of Directors of the company shall constitute a Committee of independent directors to provide reasoned recommendations on the delisting offer.

(2) The Committee of independent directors shall provide its written reasoned recommendations on the proposal for delisting of equity shares to the Board of Directors of the company and in relation thereto, the Committee may also seek external professional advice at the expense of the company.

(3) The Committee of independent directors, while providing reasoned recommendations on the delisting proposal, shall disclose the voting pattern of the meeting in which the said proposal was discussed.

(4) The company shall publish such recommendations of the Committee of independent directors, along with the details of the voting pattern, at least two working days before the commencement of the bidding period, in the same newspapers in which the detailed public announcement of the offer for delisting of equity shares was published, and simultaneously, a copy of the same shall be sent to the stock exchange(s) and the Manager to the offer.

Obligations of the Manager to the offer

29. (1) Before making the detailed public announcement, the Manager to the offer for delisting of equity shares shall ensure that, —

- (a) the acquirer is able to implement the delisting offer; and
- (b) firm arrangements for funds through verifiable means have been made by the acquirer to meet the payment obligations under the delisting offer.

(2) The Manager to the offer shall ensure that the contents of the initial public announcement, the detailed public announcement, the letter of offer and the post-bidding advertisement(s) are complete, true, fair and adequate in all material aspects, based on reliable sources and are in compliance with the requirements under these regulations and other applicable securities laws.

(3) The Manager to the offer shall ensure that market intermediaries engaged for the purpose of the delisting of equity shares are registered with the Board.

(4) The Manager to the offer shall exercise due diligence, care and professional judgment to ensure compliance with these regulations.

(5) The Manager to the offer shall not, either directly or indirectly through its associates, deal in its own account in the shares of the company after its appointment as Manager to the offer till the conclusion of the delisting offer.

(6) It shall be the responsibility of the Manager to the offer to ensure that the acquirer complies with the provisions of these regulations.

Obligations of the acquirer

30. (1) Prior to making the initial public announcement of the offer for the delisting of equity shares under these regulations, the acquirer shall ensure that firm financial arrangements have been made for fulfilling the payment obligations under the delisting offer and that the acquirer is able to implement the delisting offer, subject to any statutory approvals for the delisting offer that may be necessary.

(2) The acquirer shall ensure that the contents of the initial public announcement, the detailed public announcement, the letter of offer and announcement about success or failure of the offer for delisting are true, fair and adequate in all material aspects, not misleading and based on reliable sources that shall be mentioned wherever necessary.

(3) The acquirer and the persons acting in concert with it shall be jointly and severally responsible for the fulfilment of the applicable obligations under these regulations.

(4) The acquirer shall ensure to acquire the shares offered by the remaining public shareholders at the same price at which the equity shares had been delisted for a minimum period of one year.

(5) No acquirer or persons acting in concert with it shall sell shares of the company during the delisting period.

Cancellation of outstanding depository receipts

31. After delisting of equity shares from all the recognized stock exchanges having nationwide trading terminals, the company shall be required to compulsorily cancel all the outstanding depository receipts issued overseas and change them into the underlying equity shares in the home jurisdiction after termination of the depository receipts program(s), within one year of such delisting.

CHAPTER V

COMPULSORY DELISTING

Compulsory delisting by a stock exchange

32. (1) A recognised stock exchange may, by a reasoned order, delist equity shares of a company on any ground prescribed in the rules made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956):

Provided that no order shall be issued under this sub-regulation unless the company has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The decision regarding the compulsory delisting shall be taken by a panel to be constituted by the recognised stock exchange consisting of —

- (a) two directors of the recognised stock exchange one of whom shall be a public representative;
- (b) one representative of an investor association recognised by the Board;
- (c) one representative of the Ministry of Corporate Affairs or Registrar of Companies; and
- (d) the Executive Director or Secretary of the recognised stock exchange.

(3) Before passing an order under sub-regulation (1), the recognised stock exchange shall give a notice in at least one English national newspaper with wide circulation, one Hindi national newspaper with wide circulation in their all India editions and one vernacular newspaper of the region where the relevant recognised stock exchange is located, of the proposed delisting, giving a time period of not less than fifteen working days from the date of such notice, within which representations, if any, may be made to the recognised stock exchange by any person aggrieved by the proposed delisting and shall also display such notice on its trading systems and website.

(4) The recognised stock exchange shall, while passing any order under sub-regulation (1), consider the representation, if any, made by the company and also any representation received in response to the notice given under sub-regulation (3), and shall comply with the guidelines provided in Schedule III of these regulations.

(5) Where the recognised stock exchange passes an order under sub-regulation (1), it shall, -

- (a) forthwith publish a notice in one English national newspaper with wide circulation, one Hindi national newspaper with wide circulation in their all India editions and one vernacular newspaper of the region where the relevant recognised stock exchange is located, of the fact of such delisting, disclosing therein the name and address of the company, the fair value of the delisted equity shares determined under sub-regulation (1) of regulation 33 of these regulations and the names and addresses of the promoters of the company who would be liable under sub-regulation (4) of regulation 33 of these regulations;
- (b) inform all other stock exchanges where the equity shares of the company are listed, about such delisting; and
- (c) upload a copy of the said order on its website.

(6) The provisions of Chapter IV of these regulations shall not be applicable to a compulsory delisting made by a recognised stock exchange under this Chapter.

Rights of public shareholders in case of compulsory delisting

33. (1) Where the equity shares of a company are delisted by a recognised stock exchange under this Chapter, the recognised stock exchange shall appoint an independent valuer(s) who shall determine the fair value of the delisted equity shares.

(2) The recognised stock exchange shall form a Panel of expert valuers and from the said Panel, the valuer(s) for the purposes of sub-regulation (1) shall be appointed.

(3) The value of the delisted equity shares shall be determined by the valuer(s) having regard to the factors mentioned in sub-regulation (2) of regulation 20 of these regulations.

(4) The promoter(s) of the company shall acquire the delisted equity shares from the public shareholders by paying them the value determined by the valuer, within three months of the date of delisting from the recognised stock exchange, subject to the option of the public shareholders to retain their shares.

(5) The promoter shall be liable to pay interest at the rate of ten percent per annum to all the shareholders, who offer their shares under the compulsory delisting offer, if the price payable in terms of sub-regulation (3) is not paid to all the shareholders within the time specified under sub-regulation (4):

Provided that in case the delay was not attributable to any act or omission of the acquirer or was caused due to the circumstances beyond the control of the acquirer, the Board may grant waiver from the payment of such interest.

Consequences of compulsory delisting

34. (1) Where a company has been compulsorily delisted under this Chapter, the company, its whole-time directors, person(s) responsible for ensuring compliance with the securities laws, its promoters and the companies which are promoted by any of them shall not directly or indirectly access the securities market or seek listing of any equity shares or act as an intermediary in the securities market for a period of ten years from the date of such delisting.

(2) In case of a company whose fair value is positive -

- (a) such a company and the depositories shall not effect transfer, by way of sale, pledge, etc., of any of the equity shares held by the promoters / promoter group and the corporate benefits like dividend, rights, bonus shares, split, etc. shall be frozen for all the equity shares held by the promoters/ promoter group, till the promoters of such company provide an exit option to the public shareholders in compliance with sub-regulation (4) of regulation 33 of these regulations, as certified by the relevant recognized stock exchange;

(b) the promoters, whole-time directors and person(s) responsible for ensuring compliance with the securities laws, of the compulsorily delisted company shall also not be eligible to become directors of any listed company till the exit option as mentioned in clause (a) is provided.

(3) The stock exchange(s) shall monitor the compliance of the provisions of this Chapter and take appropriate action for non-compliance thereof in accordance with the provisions of these regulations.

CHAPTER VI

Part - A

SPECIAL PROVISIONS FOR SMALL COMPANIES

Delisting of equity shares of small companies

35. (1) Equity shares of a company may be delisted from all the recognised stock exchanges where they are listed, without following the procedure in Chapter IV of these regulations, if,-

(a) the company has a paid up capital not exceeding ten crore rupees and net worth not exceeding twenty five crore rupees as on the last date of preceding financial year;

(b) the number of equity shares of the company traded on each such recognised stock exchange during the twelve calendar months immediately preceding the date of board meeting held for consideration of the proposal referred to in sub-regulation (4) of regulation 10 of these regulations is less than ten per cent of the total number of shares of the company:

Provided that where the share capital of a particular class of shares of the company is not constant throughout such period, the weighted average of the shares of such class shall represent the total number of shares of such class of the company;

(c) the company has not been suspended by any of the recognised stock exchanges having nationwide trading terminals for any non-compliance in the preceding one year.

(2) Delisting of equity shares may be made under sub-regulation (1) only if, in addition to fulfilment of the requirements of regulations 10 and 11 of these regulations, the following conditions are fulfilled:-

(a) acquirer(s) appoints a Manager to the offer and decides an exit price after consultation;

(b) the exit price offered to the public shareholders shall not be less than the floor price determined in terms of clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the Takeover Regulations;

(c) the acquirer writes individually to all the public shareholders of the company informing them of its intention to get the equity shares delisted, the exit price together with the justification therefor and seeking their consent for the proposal for delisting;

(d) the public shareholders, irrespective of their numbers, holding ninety percent or more of the public shareholding give their consent in writing to the proposal for delisting, and consent either to sell their equity shares at the price offered by the acquirer or to continue to hold the equity shares even if they are delisted;

(e) the acquirer completes the process of inviting the positive consent and finalisation of the proposal for delisting of equity shares within seventy five working days of the first communication made under clause (c);

(f) the acquirer makes payment of consideration in cash within fifteen working days from the date of expiry of seventy five working days mentioned in clause (e).

(3) The communication made to the public shareholders under clause (c) of sub-regulation (2) shall contain justification for the offer price with particular reference to the applicable parameters mentioned in sub-regulation (2) of regulation 20 of these regulations and specifically mention that consent for the proposal would include consent for dispensing with the exit price discovery through reverse book building method.

(4) The acquirer shall be liable to pay interest at the rate of ten percent per annum to all the shareholders, whose bids have been accepted in the delisting offer, if the price payable in terms of sub-regulation (2) is not paid to all the shareholders within the time specified thereunder:

Provided that in case the delay was not attributable to any act or omission of the acquirer or was caused due to the circumstances beyond the control of the acquirer, the Board may grant waiver from the payment of such interest.

(5) The relevant recognised stock exchange may delist such equity shares upon satisfying itself of compliance with this regulation.

Part - B**SPECIAL PROVISIONS FOR COMPANIES LISTED ON INNOVATORS GROWTH PLATFORM****Delisting of equity shares of companies listed on innovators growth platform after making an initial public offer**

36. (1) The provisions of these regulations, shall mutatis mutandis apply to delisting of equity shares of a company listed on innovators growth platform after making a public issue, subject to the provisions of sub-regulation (2).

(2) A company whose equity shares are listed and traded on the innovators growth platform pursuant to an initial public offer may be delisted from the innovators growth platform, if -

- (a) such delisting is approved by the Board of Directors of the company;
- (b) such delisting is approved by the shareholders of the company by a special resolution passed through postal ballot or e-voting, after disclosure of all material facts in the explanatory statement sent to the shareholders in relation to such resolution:

Provided that the special resolution shall be acted upon only if the votes cast by the majority of public shareholders are in favour of such exit proposal;

- (c) delisting price is based on a floor price determined in terms of regulation 8 of Takeover Regulations, as may be applicable, and an additional delisting premium justified by the acquirer;
- (d) the post offer shareholding of the acquirer along with the persons acting in concert with it, taken together with the shares tendered reaches seventy five per cent of the total issued shares of that class and at least fifty per cent shares of the public shareholders as on date of the board meeting referred to in clause (a) of sub-regulation (2) are tendered and accepted; and
- (e) the recognised stock exchange(s), on which its shares are listed, approves of such delisting.

Part - C**SPECIAL PROVISIONS FOR A SUBSIDIARY COMPANY GETTING DELISTED THROUGH A SCHEME OF ARRANGEMENT WHEREIN THE LISTED HOLDING COMPANY AND THE SUBSIDIARY COMPANY ARE IN THE SAME LINE OF BUSINESS****Delisting of equity shares of a subsidiary company pursuant to a scheme of arrangement**

37. (1) Nothing contained in these regulations shall apply to the delisting of equity shares of a subsidiary company, pursuant to a scheme of arrangement by an order of a Court or Tribunal with its listed holding company, whose equity shares are frequently traded, and where the listed holding company and the subsidiary company are in the same line of business.

(2) The delisting of the equity shares of a subsidiary company in terms of sub-regulation (1) shall be permitted subject to the following:-

- a) the listed holding company shall provide for the issue of its equity shares in lieu of cancellation of any equity shares in the delisting subsidiary company;
- b) upon such delisting becoming effective, the subsidiary company shall become a wholly owned subsidiary of the listed holding company;
- c) compliance with regulations 11, 37 and 94 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Circulars issued thereunder;
- d) e-voting from shareholders of both listed companies wherein votes cast by public shareholders of the listed subsidiary in favour of the proposal are at least two times the number of votes cast against it and the votes cast by the public shareholders of the listed holding company in favour of the proposal are more than the number of votes cast by the public shareholders against it;
- e) the shares of the listed holding company and the subsidiary company are listed for at least 3 years and shall not be suspended at the time of taking this route;
- f) the subsidiary company has been a listed subsidiary of the listed holding company for the past three years;
- g) no adverse orders have been passed by the Board in the past 3 years against the listed holding company and the listed subsidiary company;
- h) no further restructuring shall be undertaken by the listed holding company for a period of 3 years from the date of the Order of the Court or Tribunal approving the scheme of arrangement;

- i) the equity shares of the listed subsidiary so delisted, shall not be allowed to seek relisting for a period of three years from the date of delisting and such relisting shall be in terms of sub-regulation (3) and (4) of regulation 40 of these regulations; and,
- j) the valuation of shares of the listed subsidiary per share shall not be less than sixty days volume weighted average price.

Explanation,— The reference date for computing the volume weighted average price would be the date on which the recognized stock exchange(s) was required to be notified of the board meeting in which the delisting proposal of the subsidiary was considered and approved.

Part – D

SPECIAL PROVISIONS FOR DELISTING BY OPERATION OF LAW

Delisting in case of winding up of a company and de-recognition of a stock exchange

38. (1) In case of winding up proceedings of a company whose equity shares are listed on a recognised stock exchange, the rights, if any, of the shareholders of such company shall be in accordance with the laws applicable to those proceedings.

(2) Where the Board withdraws recognition granted to a stock exchange or refuses renewal of recognition to it, the Board may, in the interest of investors pass appropriate order(s) in respect of the status of equity shares of the companies listed on that stock exchange.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Recognised stock exchanges to monitor compliance

39. The respective recognised stock exchange(s) shall adhere to the provisions of these regulations, monitor compliance with the provisions of these regulations and shall report to the Board any non-compliance which comes to their notice.

Listing of delisted equity shares

40. (1) No application for listing shall be made in respect of equity shares of a company,-

- (a) which have been delisted under Chapter III or under Chapter VI of these regulations, for a period of three years from the delisting;
- (b) which have been delisted under Chapter V of these regulations, for a period of ten years from the delisting.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an application for listing of delisted equity shares may be made in respect of a company:

- (a) whose equity shares have been delisted pursuant to a resolution plan under section 31 of the Insolvency Code;
- (b) whose equity shares are listed and traded on the innovators growth platform pursuant to an initial public offer and which is delisted from the said platform;
- (c) whose equity shares have been delisted in terms of regulation 35 of these regulations.

(3) While considering an application for listing of equity shares of a company which had been delisted earlier, the recognised stock exchange shall give due regard to the facts and circumstances under which such equity shares were delisted.

(4) An application for listing made in respect of delisted equity shares shall be deemed to be an application for fresh listing of such equity shares and shall be subject to provisions of law relating to listing of equity shares of unlisted companies:

Provided that the company shall make appropriate disclosures in the offer document about the reasons for seeking listing after delisting.

CHAPTER VIII

Power of the Board to issue clarifications

41. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines from time to time.

]Power to relax strict enforcement of the regulations.

42. (1) The Board may, in the interest of investors or for the development of the securities market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, if the Board is satisfied that-

- a) the requirement is procedural in nature; or
- b) any disclosure requirement is not relevant for a particular class of industry or company; or
- c) the non-compliance was caused due to factors beyond the control of the acquirer.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), the acquirer or the company shall file an application with the Board, supported by a duly sworn affidavit, providing details of such relaxation of the regulations and the grounds on which the relaxation has been sought.

(3) The acquirer or the company, as the case may be, shall along with the application referred to under sub-regulation (2) pay a non-refundable fee of rupees one lakh, by way of direct credit in the bank account through electronic modes including payment gateways or such other mode allowed by the Reserve Bank of India.

(4) The Board may also exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(5) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (5) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation,— For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.

Directions by the Board

43. Without prejudice to provisions of the Act and those of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board may in case of any violation of these regulations and in the interests of the investors and the securities market issue such directions as it deems fit.

Repeal and Savings

44. (1) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, stand repealed from the date on which these regulations come into force.

(2) Notwithstanding such repeal,—

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including in-principle approval given by the recognised stock exchanges, relaxation or exemption granted by the Board, fee collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show cause notice issued under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;

(b) the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any contravention or offence committed against the repealed regulations, or any investigation, proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations had never been repealed;

(c) nothing contained in clause (a) shall apply to any delisting offer in respect of which a public announcement has been made under the repealed regulations, and such delisting offer shall be required to be continued and completed under the repealed regulations.

(3) subsequent to the repeal of Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009, any reference thereto in any other regulations, guidelines or circulars issued by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE I

See regulation 15(2)

CONTENTS OF THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT

1. The floor price and the offer price and how they were arrived at.

2. The indicative price, if any, given by the acquirer.
3. The dates of opening and closing of the bidding period.
4. The name of the stock exchange from which the equity shares are sought to be delisted.
5. The manner in which the delisting offer can be accepted by the shareholders.
6. Disclosure regarding the minimum acceptance condition for success of the offer.
7. The name(s) of the Manager to the offer and other intermediaries together with the helpline number for the shareholders.
8. The specified date fixed as per sub-regulation (3) of regulation 15 of these regulations.
9. The object of the proposed delisting.
10. The proposed time table from opening of the delisting offer till the payment of consideration or return of equity shares.
11. Details of the escrow account and the amount deposited therein.
12. Listing details and stock market data including:
 - (a) high, low and average market prices of the equity shares of the company during the preceding three years;
 - (b) monthly high and low prices for the six months preceding the date of the detailed public announcement; and,
 - (c) the volume of equity shares traded in each month during the six months preceding the date of detailed public announcement.
13. Present capital structure and shareholding pattern of the company.
14. The expected post-delisting shareholding pattern of the company.
15. The aggregate shareholding of the acquirer with persons acting in concert and of the directors of the acquirer where the acquirer is a company and of persons who are in control of the company.
16. A statement, certified to be true by the Board of Directors of the company, disclosing material deviation, if any, in utilisation of proceeds of issues of securities made during the five years immediately preceding the date of detailed public announcement, from the stated objects of the issues.
17. A statement by the Board of Directors of the company confirming that all material information which is required to be disclosed under the provisions of continuous listing requirement have been disclosed to the stock exchanges.
18. List of documents copies of which shall be available for inspection by the public shareholders at the registered office of the Manager to the offer during the working days.
19. A statement by the Board of Directors of the company certifying that:-
 - (a) the company is in compliance with the applicable provisions of securities laws;
 - (b) the acquirer or its related entities have not carried out any transaction during the aforesaid period to facilitate the success of the delisting offer which is not in compliance with the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4 of these regulations;
 - (c) the delisting, in their opinion, is in the interest of the shareholders.
20. Name of compliance officer of the company.

SCHEDULE II

See regulation 20(1)

THE REVERSE BOOK BUILDING PROCESS

1. The reverse book building process shall be made through an electronically linked transparent facility and the acquirer shall enter into an agreement with a stock exchange for this purpose.
2. The detailed public announcement and letter of offer shall be filed without delay with the stock exchange mentioned in clause 1 and such stock exchange shall forthwith post the same on its website.
3. The minimum number of bidding centres shall be:
 - (a) the four metropolitan centres situated at Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai;
 - (b) such cities in the region in which the registered office of the company is situated, as are specified by the stock exchange mentioned in clause 1.
4. There shall be at least one electronically linked computer terminal at all bidding centres.

5. The shareholders may withdraw or revise their bids upwards not later than one day before the closure of the bidding period. Downward revision of bids shall not be permitted.
6. The acquirer shall appoint 'trading members' at the bidding centres, whom the public shareholders may approach for placing bids on the on-line electronic system.
7. The shareholders holding dematerialized shares, desirous of availing the exit opportunity may enter their bid by way of marking a lien in favour of the special depositories account opened by the Manager to the offer.
8. The Manager to the offer shall ensure that the equity shares in the said special depositories account are not transferred to the account of the acquirer unless the bids in respect thereof are accepted and payments in respect thereof are made.
9. The holders of physical equity shares shall ensure that the bidding form, together with the share certificate and transfer deed, is received by the share transfer agent appointed for the purpose before the last date of bidding period. The share transfer agent shall deliver the certificates, which are found to be genuine, to the Manager to the offer, who shall not hand it over to the acquirer unless the bids in respect thereof are accepted and payment in respect thereof is made. The bids in respect of the certificates which are found to be non-genuine shall be deleted from the system.
10. The verification of physical certificates for making the public announcement under regulation 17 of these regulations shall be completed on the day on which they are received by the share transfer agent.
11. The bids placed in the system shall have an audit trail which includes stock broker identification details, time stamp and unique order number.
12. Clauses 1 to 11 shall not be applicable in respect of the book building process where settlement is carried out through stock exchange mechanism as specified in sub-regulation (2) of regulation 17 of these regulations.
13. The discovered price shall be determined as the price at which shares are accepted through eligible bids, that takes the shareholding of the acquirer (along with the persons acting in concert) to ninety per cent of the total issued shares of that class excluding the shares which are held by following:
- a custodian(s) holding shares against which depository receipts have been issued overseas;
 - a trust set up for implementing an Employee Benefit scheme under the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - inactive shareholders such as vanishing companies, struck off companies, shares transferred to Investor Education and Protection Fund account and shares held in terms of sub-regulation (4) of regulation 39 read with Schedule VI of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.
14. An illustration for arriving at the discovered price is given in the table below:

| <i>Bid price (₹)</i> | <i>Number of investors</i> | <i>Demand (Number of shares)</i> | <i>Cumulative demand (Number of shares)</i> |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 550 | 5 | 2,50,000 | 2,50,000 |
| 565 | 8 | 4,00,000 | 6,50,000 |
| 575 | 10 | 2,00,000 | 8,50,000 |
| 585 | 4 | 4,00,000 | 12,50,000 |
| 595 | 6 | 1,20,000 | 13,70,000 |
| 600 | 5 | 1,30,000 | 15,00,000 |
| 605 | 3 | 2,10,000 | 17,10,000 |
| 610 | 3 | 1,40,000 | 18,50,000 |
| 615 | 3 | 1,50,000 | 20,00,000 |
| 620 | 1 | 5,00,000 | 25,00,000 |
| Total | 48 | 25,00,000 | Not applicable |

Final Offer Price

Assuming floor price of ₹550/- per share, shareholding of the acquirer at 75% and number of shares required for successful delisting as 15,00,000, the discovered price would be the price at which the acquirer reaches the threshold of 90%, i.e., it would be ₹600/- per share.

SCHEDULE III

See regulation 32 (4)

GUIDELINES FOR COMPULSORY DELISTING

1. The recognised stock exchange shall take into account the grounds prescribed in the rules made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) while compulsorily delisting the equity shares of the company.
2. The recognised stock exchange shall take all reasonable steps to trace the promoters of a company whose equity shares are proposed to be delisted, with a view to ensuring compliance with sub-regulation (4) of regulation 33.
3. The recognised stock exchange shall consider the nature and extent of the alleged non-compliance by the company and the number and percentage of public shareholders who may be affected by such non-compliance.
4. The recognised stock exchange shall take reasonable efforts to verify the status of compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules and regulations made thereunder, by the company with the office of the concerned Registrar of Companies.
5. The names of the companies whose equity shares are proposed to be delisted and their promoters shall be displayed in a separate section on the website of the recognised stock exchange. If delisted, the names shall be shifted to another separate section on the website.
6. The recognised stock exchange shall in appropriate cases file prosecutions under relevant provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or any other law for the time being in force against identifiable promoters and directors of the company for the alleged non-compliances.
7. The recognised stock exchange shall, in appropriate cases, under the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), file a petition for winding up the company or make a request to the Registrar of Companies to strike off the name of the company from the register.

SCHEDULE IV

See regulation 22(4)

Timelines for counter offer

| Sl. No. | Activity | Timelines |
|---------|--|---|
| 1. | Public announcement of counter offer by the acquirer through stock exchange mechanism | Within two working days from the date of closure of reverse book building bidding process |
| 2. | Publication of counter offer public announcement in the same newspapers where the detailed public announcement was made | Within four working days from the closure of the reverse book building bidding process |
| 3. | Option to withdraw the shares tendered during the reverse book building process | Within ten working days from the counter offer public announcement |
| 4. | Dispatch of "Letter of offer for counter offer" | Within four working days from the closure of the reverse book building bidding process |
| 5. | Opening of counter offer bidding process | Not later than seven working days from the date of public announcement |
| 6. | Closing of counter offer bidding process | Not later than five working days from the opening of counter offer bidding process |
| 7. | Public announcement of success/failure of counter offer in the same newspaper in which detailed public announcement under sub-regulation (1) of regulation 15 was made | Not later than five working days of the closing of the counter offer bidding process |
| 8. | Payment of consideration | Not later than ten working days from the closing |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| | | of counter offer or through the secondary market settlement mechanism, as the case may be |
| 9 | Release of equity shares | On the date of making public announcement of the success or failure of the counter offer |

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./88/2021-22]